कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, नीमच जिला नीमच (म.प्र.) (कार्या.कोड–0237)

फोन नं. 07423–232411, फैक्स 07423–232911,ईमेल eewrd_neemuch@yahoo.co.in

पत्र क्रं. 1857 / कार्य ./वनभूमि/2026 नीमच., दिनांक 02/07/2026

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

विषय :– जिला नीमच अंतर्गत गंगाबावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 43.149 हे. वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच को उपयोग पर देने बाबत्
(FP/MP/IRRIG/32285/2018)

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 12/13.08.2025

*****

उपरोक्त विषय में लेख है कि जिला–नीमच के अंतर्गत गंगाबावडी तालाब योजना के निर्माण में 43.149 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निम्न बिदुंओं पर जानकारी चाही गई है, इन बिन्दुओं का निराकरण कर विस्तृत रिपोर्ट सहित जानकारी आपकी ओर प्रेषित है।

(हिमांशु भाबोर)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, नीमच

पृ क्रं. 1858 / कार्य ./वनभूमि/2026 नीमच., दिनांक 02/07/2026

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रिय) उज्जैन, वृत्त उज्जैन म.प्र.की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, रामपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी वनमण्डल मनासा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(हिमांशु भाबोर)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, नीमच

1.The Detailed Report on the action taken by the State Government against the persons/Officials Responsible for breakin up of forest land without the prior under Van (Sanrakshan Evam approval of the Central Government Samvardhan) Adiniyam, 1980 Shall be Submitted

वन (सरंक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुमति में कार्य करने के संबंध में वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र मनासा नीमच द्वारा दिनांक 23.06.2026 को अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा नीमच को बिना केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति बिना वनभूमि में कार्य करने वालों के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। उक्त आरोप पत्र में जिला–नीमच के अंतर्गत गंगाबावडी तालाब योजना के निर्माण में 43.149 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है, इस संबंध में पूर्व में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 26.07.2022 के बिंदु क्रं 01 में वन उल्लघंन के संबंध में ली गई आपत्ति जिसकी जांच दिनांक 06.12.2023 को वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र मनासा, वन स्टाफ एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा जिला नीमच के मौके पर उपस्थित होकर मौका जॉच कर रिर्पोर्ट उपवनमण्डलाधिकारी उपवन मण्डल मनासा द्वारा पत्र क्रं./मा.चि./2023/1593 को वनमण्डलाधिकारी नीमच को प्रस्तुत की गई है।

आरोप पत्र जारी कर विभाग के अधिनस्थ कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व स्वीकृति MoEF & CC को अनुमति प्राप्त नहीं की है एवं (सरंक्षण एवं सवंर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लघंन किया गया है योजना के अंतर्गत कार्य करने वाली एजेंसी एवं सम्मिलित अधिकारी, कर्मचारी पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

संलग्न :–

1. आरोप पत्र एवं विस्तृत रिर्पोर्ट वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र मनासा।
2. संयुक्त निरीक्षण टीप वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा, गजट नोटिफिकेशन, नक्शा क्रं. 01,02,03।
3. रिपोर्ट तहसीलदार तहसील मनासा।
4. पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल।
5. निरीक्षण प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी नीमच एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा।
6. फिल्ड निरीक्षण रिपोर्ट राजेश दराडे आई.एफ.एस.ए.आई.जी.एफ (C)।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, रामपुरा (म.प्र.)

पत्र क्रमांक 117 /कार्य /वनभूमि/ 2026 रामपुरा दिनांक:– 29/06/2026

प्रति,

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

विषय :– जिला–नीमच के अंतर्गत गंगाबावडी तालाब योजना के निर्माण हेतु 43.149 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच को उपयोग देने बाबत् (FP/MP/IRRIG/32285/2018)एवं केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वनभूमि में कार्य करने वाले के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने बाबत्।

संदर्भ :– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 12/13.08.2025 एवं अपर प्रधान मुख्य एवं वन सरंक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–3/82/387237/0021/16 दिनांक 19.08.2025 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तकनीकि/2025/4902/दिनांक 22.08.2025/292 दि. 15.01.2026
2. आपका पत्र क्र. 209/कार्य/2026 नीमच दिनांक 23.06.2026

*****

उपरोक्त विषय में लेख है कि जिला–नीमच के अंतर्गत गंगाबावडी तालाब योजना के निर्माण में 43.149 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है इस संबंध में पूर्व में कार्यालय अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू–प्रबंधन) भोपाल का पत्र क्रं/एफ–3/393 दिनांक 23.01.2021 एवं कार्यालय वनमण्डलाधिकारी नीमच के पत्र क्रं./मा.चि./2021/624 दिनांक 23.01.2021 द्वारा आपत्ति ली गई थी। इस आपत्ति निराकरण के लिये दिनांक 28.01.2021 को वनविभाग मनासा, राजस्व विभाग मनासा जल संसाधन विभाग एवं विधायक प्रतिनिधि द्वारा गंगाबावडी निर्माणाधीन तालाब का संयुक्त निरीक्षण किया गया था जिसमें पाया गया कि

A-1. मौका स्थल पर कक्ष क्रं. 287, 290, 293 की आरएफ (आरक्षित वन) लाईन के जीपीएस रिडिंग के निर्देशांक के अनुसार राजस्व क्षेत्र का रकबा 11.00 हे. पाया गया। जिसकी सीमा लाईन नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है। संलग्न नक्षा क्रमांक 01

2. वनक्षेत्र के कक्ष क्रमाक 287, 290, 293 की आरएफ लाईन से जल संसाधन विभाग द्वारा एफटीएल की मार्किंग की गई। जिसमें जो जलभराव प्रस्तावित है. के अनुसार वनक्षेत्र का रकबा 39.84 हे. पाया। जिसकी सीमा लाईन को नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शा क्रं. 02

तहसीलदार मनासा के पत्र क्रं. 274/रीडर–1/2021 दिनांक 09.02.2021 से सर्वे नं. एवं उसका रकबा के आदेश जिलाधीश महोदय द्वारा दिये गये है जो निम्नानुसार है।

क्रं.	सर्वे क्रं	रकबा	नाम
1	97	1.092	कवरीबाई आदि बारेट
2	98	1.295	कालू पिता अमरा बारेट
3	99/1	1.012	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
4	99/2	1.011	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
5	100	2.023	फोरुलाल पिता नंदा आदि
6	1097	0.441	रतन पिता सेवा आदि बारेट
7	1098	2.000	मानसिंह पिता रूघनाथ सिंह राजपूत
8	1100	0.324	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
योग	08	9.198	
योग में से डिमोटिफिकेशन रकबा घटाने पर		(–)0.441	
[illegible]		[illegible]	

म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रं 391 भोपाल दिनांक 12.11.1990 अनुसार – उक्त डेम निर्माण क्षेत्र में 0.441 हे. वनभूमि का डिनोटीफिकेशन पाया है। जो वन क्षेत्र 39.84 हे. भूमि में सम्मिलित होने से उसे घटाया जाना उचित है। शेष बची वनभूमि 39.399 हे. में से अन्य किसी राजस्व/वनविभाग के कक्ष का डिनोटिफिकेशन नहीं पाया गया। नक्शा संलग्न (3) एवं डिनोटिफिकेशन असाधारण राजपत्र दिनांक 12.11.1990

2. तहसीलदार तहसील मनासा द्वारा दिनांक 09.2.2021 गंगाबावडी ताालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में जल संसाधन विभाग चिन्हांकन के अनुसार भूमि जो कि निजी राजस्व की है तथा वन विभाग नक्शा सीट से कम नहीं की गई संबंधित जानकारी राजस्व निरीक्षक मनासा/पटवारी मौजा पडदा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

क्रं.	सर्वे क्रं	रकबा	नाम
1	97	1.092	कवरीबाई आदि बारेठ
2	98	1.295	कालू पिता अमरा बारेठ
3	99/1	1.012	मांगीबाई बेवा मोहनलाल कीर आदि
4	99/2	1.011	मांगीबाई बेवा मोहनलाल कीर आदि
5	100	2.023	फोरूलाल पिता नंदा आदि
6	1097	0.441	रतन पिता सेवा बारेठ आदि
7	1098	2.000	मानसिंह पिता रूघनाथ सिंह राजपूत
8	1100	0.324	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
योग	08	9.198	

उपरोक्त आठ निजी भूमिस्वामियों की भूमि में से सर्वे नंबर 97, 98, 99 (वर्तमान में बटा नंबर 99/1, 99/2) 100, रकबा क्रमश 1.012, 1.295, 2.023 (1.012, 1.011), 2.023 वर्ष 1961 में गांधीसागर बांध जलाशय के डूब विस्थापितों को ग्राम पडदा में वनभूमि से कम कर आवंटित की गई थी एवं राजस्व सीमा में सम्मिलित की गई थी। उक्त सर्वे नंबरों के वर्ष 1968–69 के अधिकार अभिलेख अभियान (बंदोबस्त) के पूर्व सर्वे नंबर अलग थे। इस कारण अधिकार अभिलेख 1968–69 की प्रतिलिपियां (जिसमें नए पूराने नंबर दोनों दर्ज थे) तथा वर्ष 1961–62 के खसरे की प्रतिलिपियां (जिनमें आंवटन के प्रकरण क्रमांक व दिनांक दर्ज है।) संलग्न है। सर्वे क्रं. 1097, 1098, 1100 रकबा क्रमश 0.441, 2.000, 0.324 की भूमि वन व्यवस्थापन के अभियान में मौके पर कब्जेदारों को आवंटित की गई थी एवं राजस्व रिकार्ड व नक्शे में शामिल की गई थी। सर्वे नं. 1097, 1098 एवं 1100 के आवंटन के प्रकरणों की छायाप्रति संलग्न है। उपरोक्त सर्वे नंबर 97, 98, 99 (99/1, 99/2), 100, 1097, 1098, 1100 रकबा क्रमशः 1.012, 1.295, 2.023 (1.012, 1.011),2.023, 0.441, 2.000, 0.324 वनविभाग के नक्शे में आर. एफ.लाईन के अंदर वनविभाग के कर्मचारियों के सहयोग से तरमीम किए जाना प्रतिवेदित किया गया।

B- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा दिनांक 27.05.2022 को पत्र द्वारा आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 25.02.2020 को चर्चा हुई। आर.ई.सी. की बैठक में DSS Anlayses and Google Earth द्वारा वनक्षेत्र में कार्य करना एवं वनसरंक्षित भूमि का उल्लघंन होना बताया गया था। पत्र में कहा गया कि प्रस्तावित वनभूमि का संयुक्त मौका स्थल निरीक्षण कराने एवं वनक्षेत्र का रकबा 39.84 हे. आता है। इस 39.84 हे. में से 0.441 हे. वनभूमि का डीनोटिफिकेशन वर्ष 1990 में हो चुका है। इस 39.399 हे. भूमि में राजस्व विभाग के अभिलेखों के हिसाब से 9.198 हे. राजस्व भूमि पर 08 पट्टेधारकों की भूमि शामिल है, जल संसाधन विभाग द्वारा इन 08 पट्टेधारकों को मुआवजा भी वितरित कर दिया है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु 39.399 हे. गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। उक्त 39.399 हे. गैर वनभूमि की पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना वनमण्डलाधिकारी नीमच द्वारा तैयार की गई है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। साथ ही वनमण्डलाधिकारी नीमच की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं डीनोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है। पत्र संलग्न है।

C- दिनांक 26.07.2022 को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्र कार्यालय भोपाल द्वारा बिन्दु क्रं 02 मे वन (सरंक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 उल्लघंन के संबंध में जॉच हेतु वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल नीमच को पत्र जारी किया गया था एवं जिसकी जॉच रिपोंट उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल मनासा द्वारा दिनांक 06.12.2023 को वनविभाग मनासा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया- एवं वन परिक्षेत्र मनासा के कक्ष क्रमांक 287, 290, 293 का कुछ वनक्षेत्र गंगाबावडी जलाशय परियोजना जल संसाधन विभाग संभाग नीमच के निर्माण में प्रभावित हो रहा है। जिसके व्यपवर्तन की कार्यवाही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रचलित है। वनभूमि के व्यपवर्तन के पूर्व जलाशय परियोजना में जल संसाधन विभाग, संभाग नीमच द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है। वर्तमान में कार्य अधुरा होने से गंगाबावडी जलाशय परियोजना में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र में जल भराव नहीं हुआ है। भारत सरकार से अनुमति के पूर्व निर्माण कार्य के तहत पाल निर्माण कार्य राजस्व क्षेत्र के साथ-साथ व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के कक्ष क्रमांक 287 बीट पडदा के कुछ वनक्षेत्र में भी किया गया है। यूजर एजेंसी जल संसाधन विभाग, संभाग नीमच द्वारा गंगाबावडी जलाशय निर्माण कार्य हेतु व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 287 में 190 मीटर पाल निर्माण में रकबा 0.621 हे. एवं कक्ष क्रमांक 287, 290, 293 के वनक्षेत्र में अवैध उत्खनन से रकबा 0.679 हे. इस प्रकार कुल 1.300 हेक्टे. वनक्षेत्र में अनुमति के पूर्व कार्य कर वनक्षेत्र प्रभावित किया है। रकबा 0.679 हेक्टेयर में उत्खनन कर लगभग 58790 घन मी के गढ्ढे किये गये है। वर्ष 2019 के बाद से निर्माण कार्य पूर्णतः बंद है राजस्व विभाग एवं वनविभाग के भूमि विवाद के बाद से जल संसाधन विभाग द्वारा विवादित क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया गया है।

D- दिनांक 03.12.2024 को पत्र क्र MoEF & C.C नई दिल्ली पत्र क्रं. 879/2024-FC को पत्र जारी कर Field Inspection Report of Rajesh Darade, IFS, AIGF (C). RO Bhopal को नियुक्त किया गया था इनके द्वारा दिनांक 14.01.2025 एवं 15.01.2025 को निरीक्षण कर दिनांक 15.04.2025 को निम्न बिंदुओं पर रिर्पोट प्रस्तुत की है।

1. प्रस्ताव में वन अधिनियम 1980 का उल्लघंन '-मुख्य बांध (मिट्टी का तालाब) का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मिट्टी के बांध के दोनों सिरों पर निर्माण कार्य केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आरक्षित वनक्षेत्र. की भूमि पर किया गया है। इस प्रकार निर्माण के लिये आवश्यक पूर्व अनुमतियां MoEF & CC से प्राप्त नहीं की गई थी इसके परिणाम स्वरूप वन अधिनियम 1980 का उल्लघन हुआ है। मुख्य बांध का बडा हिस्सा आरक्षित वनक्षेत्र से बाहर है।
2. परियोजना की उपयोगिता – गंगाबावडी तालाब परियोजना म.प्र. के नीमच जिले में स्थित जल संरक्षण और प्रबंधन की एक पहल है। यह क्षेत्र में जल उपलब्धता और जल संसाधनों में सुधार के प्रयासों का एक हिस्सा है। यह परियोजना मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों एवं सिंचाई, पेयजल, पशुओं, और वन्य जीव की आवश्यकताओं पर केन्द्रित है। विशेष रूप से सुखे और गंभीर जलसंकट से ग्रस्त क्षेत्रों के लिये उपयोगी है। यह क्षेत्र सुखा और गंभीर जल संकट वाला डार्कजोन क्षेत्र में आता है।
3. निरीक्षक अधिकारी की विशेष टिप्पणी– गंगाबावडी तालाब नीमच जिले की मनासा तहसील के गंगाबावडी गांव के पास स्थित है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 12.81 वर्ग कि.मी है। तालाब की जीवित जल भंडारण क्षमता 2.144 घन मीटर है। बांध के निर्माण से आसपास के गांवों की लगभग 430 हे. भूमि को रबी की सिंचाई मिलेगी। इससे क्षेत्र का भूजल स्तर भी बढेगा।

प्रस्तावित जलमार्ग का क्षेत्र पश्चिम की ओर हल्का ढलान वाला है और इसके तीन ओर (उत्तर, दक्षिण और पूर्व) पहाडियॉं है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में 43.149 हे. वनक्षेत्र और 14.41 हे. गैर वनभूमि शामिल है। बांध स्थल क पास वनस्पति विरल (Sparse) पाई गई, जबकि जलग्रहण क्षेत्र में इसका घनत्व लगभग 0.6 से 0.7 के बीच है। यह देखा गया है कि पूर्ण जलभराव होने वाला क्षेत्र आसपास की पहाडियों की तलहटी में स्थित है, इस क्षेत्र में आमतौर पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में Diospyros Melanoxylon, Anogeissus latifolia, Terminalia Tomentosa, Madhuca Indica, Azadirachta Indica, Terminalia Bsellarica, Holoptelea Integrifolia, Ficus Benghalensis, Dipterocarpus Turbinatus आदि शामिल है। स्थानीय वन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले

वन्यजीवों में पैंथर, लकडबग्घा, सियार, जंगली सुअर, बंदर, नेवला, खरगोश, मोर, गिद्ध अजगर आदि शामिल है।

यह देखा गया है कि कम वर्षा (800 मिमी) के कारण यह क्षेत्र बहुत शुष्क है, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र और स्थानीय मवेशियों एवं सिंचाई सहित सभी प्रकार के जीव-जंतुओं को जल संकट का सामना करना पड रहा है।

यह परियोजना मौसमी जलधारा पर बनाई जानी प्रस्तावित है यह मुख्य रूप से वर्षाऋतु में बहती है, गंगाबावडी तालाब मिट्टी के पूर्वीय और उत्तरपूर्वी हिस्से में स्थित होगा। यह बांध परियोजना लंबे समय तक पानी को रोककर रखने में सहायक होगा। जो क्षेत्र के स्थानीय वनस्पतियों जीवजन्तुओं और मानव बस्तियों के लिये उपयोग होगा।

1. मिट्टी के बांध के दोनो सिरों का निर्माण आरक्षित वनखण्ड संख्या 287 के अंतर्गत आता है।

2. आरक्षित वनखण्ड संख्या 290, 293 में पूर्ण जलग्रहण क्षेत्र (जहां पानी भरेगा) की भूमि में गढ्ढे खोदे गये है इस मिट्टी का उपयोग बांध के निर्माण के लिये कर दिया गया है।

विशेष टिप्पणियॉ — उपरोक्त अवलोकनों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गंगाबावडी बांध परियोजना म.प्र. के नीमच जिले के सुखा ग्रस्त और गंभीर जल संकट वाले क्षेत्र में जल संरक्षण और सिंचाई परियोजना है। बांध के निर्माण से 03 गांव की 430 हे. भूमि को रबी सिंचाई प्राप्त होगी। परियोजना का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

उल्लंघन के संबंध में — गंगाबावडी परियोजना में आरक्षित भूमि जहां उल्लघंन किया है वह क्षेत्र वनभूमि से लगी हुई राजस्व की कुल 11.00 हे. भूमि शामिल है। 43.149 हे. भूमि में राजस्व विभाग के अभिलेखों के हिसाब से 9.198 हे. राजस्व भूमि पर 8 पट्टेधारकों की भूमि शामिल है एवं कुल मिलाकर 11.00 हे. भूमि राजस्व की है, जल संसाधन विभाग द्वारा इन 8 पट्टेधारकों को मुआवजा राशि भी प्रदान की जा चुकी है। यह भूमि राजस्व विभाग एवं वनविभाग के विवादित नक्शों एवं राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। अतः आगे की कार्यवाही हेतु आपकी ओर विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित है।

संलग्न :-

1. संयुक्त निरीक्षण टीप वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा, गजट नोटिफिकेशन, नक्शा क्रं 01, 02, 03।
2. रिपोर्ट तहसीलदार तहसील मनासा।
3. पत्र प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल।
4. निरीक्षण प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी नीमच एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा।
5. फिल्ड निरीक्षण रिपोर्ट राजेश दराडे आई.एफ.एस., ए.आई.जी.एफ.(C)

(हिमांशु भाबोर)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग,रामपुरा

पृ क्रमांक 118 /कार्य /वनभूमि/ 2026 रामपुरा दिनांक- 29/06/2026

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(हिमांशु भाबोर)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग,रामपुरा

(2)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-3/02/2018/10-11/16/[illegible] भोपाल, दिनांक 3-1-24

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच
मध्य प्रदेश।

विषय:- जिला नीमच के अंतर्गत गंगाबावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

—0—

विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर आर.ई.सी. की बैठक में चर्चा की गई जिसमें DSS के अनुसार गैर वन भूमि के स्थान पर वन भूमि पर कार्य किया जाना पाया गया है।

अतः प्रभावित वन भूमि 36.00 हेक्टेयर का स्थल निरीक्षण कर तथा अवगत करायें कि वास्तव में कार्य आवेदक संस्था द्वारा किस भूमि पर कराया गया है।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, नीमच(म0प्र0)

पुरानी पुलिस लाईन के सामने, महू–नसीराबाद रोड, नीमच

Phone No. (07423) 226605, E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 993 नीमच, दिनांक– 10/2/2021

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जलसंसाधन संभाग नीमच

विषयः– जिला नीमच के अंतर्गत गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 36.00 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–3 / 82 / 2018 / 10–11 / 16 / 393 दिनांक 23.01.2021.

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र भोपाल द्वारा उनके संदर्भित पत्र से गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना में आर.ई.सी. की बैठक में चर्चा अनुसार DSS के अनुसार गैर वनभूमि के स्थान पर वनभूमि पर कार्य किया जाना पाये जाने से प्रभावित वनभूमि का स्थल निरीक्षण कर वास्तव में कार्य आवेदक संस्था द्वारा किस भूमि पर कराया गया हैं, बाबत् प्रतिवेदन चाहा गया हैं।

जिसके तारतम्य प्रभावित वनभूमि 36.00 हे. का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपके हमराह दिनांक 28.01.2021 को किया गया हैं। स्थल निरीक्षण में प्रभावित होने वाली वनभूमि के संबंध में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही हैं। आप से समक्ष में हुई चर्चा अनुसार प्रभावित होने वाली वनभूमि की वास्तविक स्थिति के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर तथ्याधारित प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण की वस्तुस्थिति से वरिष्ठ को अवगत कराया जा सके।

(क्षितिज कुमार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

पृ.क्र. / मा.चि. / 2021 / 994 नीमच, दिनांक :– 10/02/2021

प्रतिलिपिः–

01. कलेक्टर जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. उपवनमण्डलाधिकारी मनासा की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 625 दिनांक 23.01.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
03. वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 624 दिनांक 23.01.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

D.M. 2021

नक्शा क्रमांक 01 से 02-

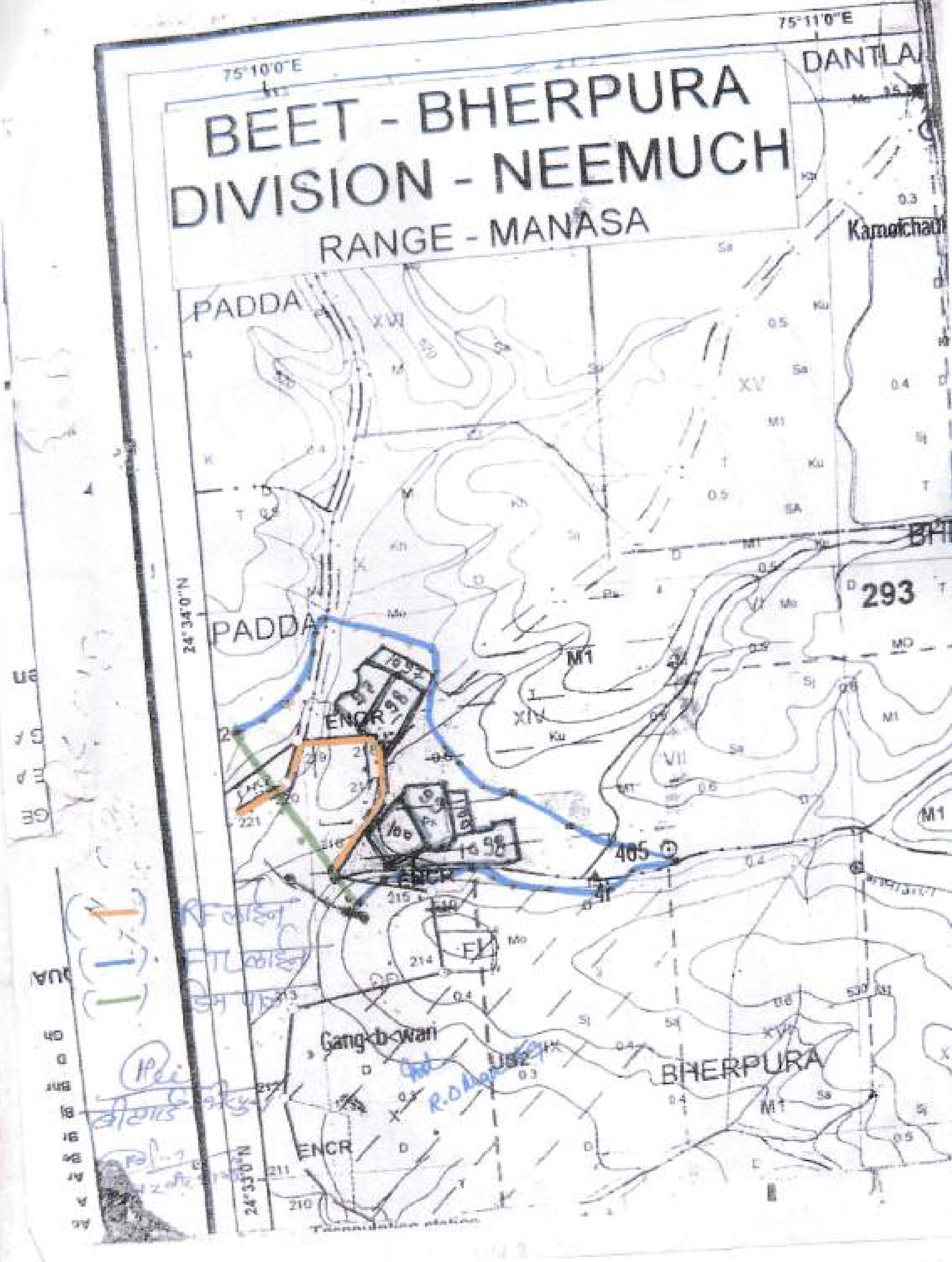

कार्यालयःवनपरिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र मनासा,जिलाःनीमच(म.प्र.)
Phone No. (07421) 242065, E-mail- Rotmanasa@mp.gov.in

क्रमांक /2021/ मनासा, दिनांक :–

निरीक्षण टीप

वन विभाग मनासा, राजस्व विभाग मनासा, जल संसाधन विभाग मनासा एवं विधायक प्रतिनिधि द्वारा गंगा बावड़ी निर्माणाधिन डेम का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.01.2021 को कार्यालय अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू–प्रबंधन) भोपाल का पत्र कमांक /एफ–3/393 दिनांक 23.01.2021 एवं कार्यालय वनमण्डलाधिकारी नीमच के पत्र कमांक/मा.चि./2021/624 दिनांक 23.01.2021 द्वारा ली गई आपत्ति के निराकरण की पूर्ति के लिये संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया कि:–

1. मौका स्थल पर कक्ष कमांक 287,290,293 की R.F. (आरक्षित वन) लाईन के जी.पी.एस. रीडिंग के निर्देशांक निम्नानुसार है–

मुनारा कमांक 216 बीट– भेरपुरा
N-2433'32.0" E-75 10'2.2"
मुनारा कमांक 217 बीट– भेरपुरा
N-2433'40.0" E-75 10'08.8"
मुनारा कमांक 218 बीट– पड़दा
N-2433'46.2" E-75 10'08.2"
मुनारा कमांक 219 बीट– पड़दा
N-2433'46.5" E-75 09'59.3"
मुनारा कमांक 220 बीट– पड़दा
N-2433'42.0" E-75 09'58.0"
मुनारा कमांक 221 बीट– पड़दा
N-2433'39.8" E-75 09'52.0"

के अनुसार राजस्व क्षेत्र का **रकबा 11.0हे.** पाया गया जिसकी सीमा लाईन नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है। संलग्न–नक्शा कमांक (1)

2. मौका पर बने मुनारों के जी.पी.एस. निर्देशांक निम्नानुसार है –

1. N-24 33'32.0" E-75 10'15.0" 2. N-24 33'34.8" E-75 10'20.5"
3. N-24 33'39.8" E-75 10'15.5" 4. N-24 33'39.4" E-75 10'11.1"
5. N-24 33'56.3" E-75 10'09.0" 4. N-24 33'48.9" E-75 10'00.5"

3. वनक्षेत्र के कक्ष कमांक 287, 290,293 की **R.F.(आरक्षित वन)** लाईन से जल संसाधन विभाग द्वारा **F.T.L.** की मार्किंग की गई जिसमें जो जल भराव प्रस्तावित है, के जी.पी.एस. रीडिंग निर्देशांक निम्नानुसार है–

1. N-2433'29.2" E-75 10'04.3" 2. N-2433'30.1" E-75 10'05.2"
3. N-2433'30.7" E-75 10'07.0" 4. N-2433'30.9" E-75 10'07.2"
5. N-2433'30.7" E-75 10'07" 6. N-2433'31.1" E-75 10'08.0"
7. N-2433'31.1" E-75 10'09.7" 8. N-2433'31.1" E-75 10'10.3"
9. N-2433'31.1" E-75 10'11.5" 10. N-2433'31.0" E-75 10'12.3"
11. N-2433'30.9" E-75 10'13.1" 12. N-2433'30.9" E-75 10'13.5"
13. N-2433'30.7" E-75 10'14.5" 14. N-2433'30.6" E-75 10'15.3"
15. N-2433'30.7" E-75 10'19.3" 16. N-2433'29.7" E-75 10'19.0"
17. N-2433'29.3" E-75 10'21.9" 18. N-2433'29.3" E-75 10'26.9"
19. N-2433'29,1" E-75 10'26.1" 20. N-2433'30.2" E-75 10'35.1"
21. N-2433'29.1" E-75 10'32.3" 22. N-2433'30.3" E-75 10'40.3"
23. N-2433'31.3" E-75 10'38.2" 24. N-2433'32.3" E-75 10'33.3"
25. N-2433'34.4" E-75 10'33.7" 26. N-2433'34.5" E-75 10'31.7"

27. N-24°33'35.1" E-75°10'31.4" 28. N-24°33'33.3" E-75°10'28.9"
29. N-24°33'39.2" E-75°10'22.1" 30. N-24°33'30.4" E-75°10'23.7"
31. N-24°33'41.4" E-75°10'19.6" 32. N-24°33'32.7" E-75°10'16.3"
33. N-24°33'43.7" E-75°10'16.2" 34. N-24°33'44.8" E-75°10'15.0"
35. N-24°33'45.4" E-75°10'15.4" 36. N-24°33'46.4" E-75°10'14.2"
37. N-24°33'47.7" E-75°10'12.2" 38. N-24°33'50.8" E-75°10'11.8"
39. N-24°33'48.9" E-75°10'12.4" 40. N-24°33'54.4" E-75°10'11.9"
41. N-24°33'56.4" E-75°10'09.0" 42. N-24°33'57.1" E-75°10'06.3"
43. N-24°33'56.6" E-75°10'07.7" 44. N-24°33'56.3" E-75°10'02.8"
45. N-24°33'56.4" E-75°10'05.2" 46. N-24°33'55.5" E-75°10'01.9"
47. N-24°33'57.7" E-75°10'04.1" 48. N-24°33'53.3" E-75°10'01.5"
49. N-24°33'39.3" E-75°09'56.4" 50. N-24°33'50.5" E-75°09'57.5"

के अनुसार वनक्षेत्र का **रकबा 39.84 हेक्टेयर पाया**, जिसकी सीमा लाईन को नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

संलग्न– नक्शा कमांक (2)

4. **म.प्र. राजपत्र (असाधारण) कं 391 भोपाल दिनांक 12.11.1990** अनुसार – उक्त डेम निर्माण क्षेत्र में **0.441 हे.** वन भूमि का **डिनोटीफिकेशन पाया** है। जो **वन क्षेत्र 39.84 हे.** भूमि मे सम्मिलित होने से उसे घटाया जाना उचित हैं। **शेष बची वन भूमि 39.399 हे.** में से अन्य **किसी राजस्व /वन विभाग के कक्ष का डिनोटिफिकेशन नहीं पाया गया।** नक्शा संलग्न (3) एवं डिनोटिफिकेशन असाधारण राजपत्र दिनांक 12.11.1990

तहसीलदार मनासा के पत्र कमांक 274/रीडर–1/2021 दिनांक 09.02.2021 से सर्वे नं. एवं उसका रकबा के आदेश जिलाधीश महोदय द्वारा किये गये है, जो निम्नानुसार है–

कमांक	सर्वे कमांक	रकबा	नाम
01.	97	1.092	कवरी बाई आदि बारेट
02.	98	1.295	कालू पिता अमरा बारेट
03	99/1	1.012	मांगी बाई बेवा मोहन लाल आदि कीर
04.	99/2	1.011	मांगी बाई बेवा मोहन लाल आदि कीर
05.	100	2.023	फोरुलाल पिता नंदा आदि
06.	1097	0.441	रतन पिता सेवा आदि बारेट
07.	1098	2.000	मानसिंह पिता रुघनाथ सिंह राजपुत
08.	1100	0.324	मांगी बाई बेवा मोहन लाल आदि कीर
योग	08	9.198	
योग में से डिनोटिफिकेशन रकबा घटाने पर		(–) 0.441	
कुल योग		8.757	

उपरोक्त 08 पट्टेदारों को जल संसाधन/राजस्व विभाग द्वारा अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित किया जा चुका है, लेकिन उक्त सर्वे नं एवं रकबा का म.प्र. शासन से डिनोटिफिकेशन नहीं हुआ पाया ।

संलग्न:–1. नक्षा कमांक (1 व 2)

2. नक्षा कमांक (3) । नजरीया नक्शा

3. असाधारण राजपत्र./भोपाल/मंगलवार/12 नवम्बर 1990 की छायाप्रति

4. कार्यालय तहसीलदार तहसील मनासा जिला नीमच के पत्र क्र 274/रीडर–1/2021/ मनासा दिनांक 09.02.2021 के पृश्ठ क्र.01 से 59 तक एक प्रति में नस्ती संलग्न ।

वन विभाग मनासा, राजस्व विभाग मनासा, जल संसाधन विभाग मनासा एवं विधायक प्रतिनिधि द्वारा गंगा बावड़ी निर्माणाधिन डेम का संयुक्त निरीक्षण दिनांक **28.01.2021** को किया गया। जिसमें उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी–

❖ वनविभाग

क.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	श्री एस. के. अटोदे	उप वन मण्डल अधि. मनासा	
02.	मो. सलीम मन्सूरी	वन परिक्षेत्र अधि. मनासा	
03.	" दिनेश पाटीदार	परिक्षेत्र सहायक पड़दा	
04.	" हेमन्त बसेर	बीट प्रभारी खेड़ पुरा	
05.	" सुन्दर सिंह राठलावत	बीट प्रभारी पड़दा	
06.	" रणजीत सिंह बोराना	पूर्व बीट प्रभारी धनेरपुरा	

❖ जल संसाधन विभाग

क.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	श्री जी. एस. डाबर	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन नीमच	
02.	एस.एस. सिद्दीकी	अनु. अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, रामपुरा	

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
रामपुरा (नी.)

❖ राजस्व विभाग

क.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	S.D.M. राजस्व मनासा	श्री मनोज [illegible]	
02.	तहसीलदार मनासा	[illegible]	
03.	R.I.	दिनेश मेहता	
04.	ह.प. [illegible]	दीपक पाटीदार	
05.			
06.			

❖ विधायक प्रतिनिधि

क.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	अनन्द कुमार सोलंकी	विधायक प्रतिनिधि	[signature]

(मोहम्मद सलीम मन्सूरी)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र मनासा

क्रमांक /2021/

मनासा, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–

01. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।
02. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग जिला नीमच की ओर सूचनार्थ।
03. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मनासा की ओर सूचनार्थ।
04. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग मनासा की ओर सूचनार्थ।
05. उपवनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डल मनासा की ओर सूचनार्थ ।
06. तहसीलदार, राजस्व मनासा की ओर सूचनार्थ।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र मनासा

डाक की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत, अनुमति-पत्र क्रमांक भोपाल-505/एम. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर 1990—कार्तिक 21, शके 1912

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 1990

क्र. एफ. 25-81-89-दस-तीन-(12) :—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वन या वन का भाग जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1623- एस-एफ.-114, तारीख 9 नवम्बर 1964 द्वारा रक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था. इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित हो जाने की तारीख से रक्षित वन नहीं रहेगा:—

अनुसूची

जिला—मंदसौर, डिवीजन—सामान्य मंदसौर, तहसील—मनासा, परिक्षेत्र—मनासा,

क्र. क.	आरक्षित वन खण्ड का नाम	अतिक्रमण केन्द्र का नाम व क्रमांक	प्रकोष्ठ क्रमांक	रकबा (हेक्टर म)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कंजार्डा	रावतपुरा (ए) 4.5	506 507 509	22.257	उत्तर—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 156 अ से 148 अ. पूर्व—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 148 अ से पुरानी सीमा रेखा कंजार्डा आरक्षित वन का पिलर नं. 148. दक्षिण—कंजार्डा आरक्षित वन खण्ड की पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 148 से 172 तक. पश्चिम—पुरानी रेखा के पिलर नं. 172 से नई रेखा के पिलर नं. 156 ए.
	„	(बी)	508	3.600	उत्तर—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 144 से नई सीमा रेखा के पिलर नं. 142 अ. पूर्व—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 142 अ से पुरानी रेखा सीमा रेखा के पिलर नं. 142 आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा. दक्षिण—कंजार्डा आरक्षित वन खण्ड की पुरानी रेखा के पिलर नं. 142 से 143 तक. पश्चिम—आरक्षित वन कंजार्डा की पुरानी रेखा के पिलर नं. 143 से 144 तक.
	योग .. रावतपुरा केन्द्र			25.857	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	कंजाढी	गंगाबावड़ी (डी) 10 से 13	508	5.521	उत्तर-आरक्षित वन कंजाढी के पुराने पिलर नं. [illegible] सीमा रेखा के पिलर नं. 138 ब. पूर्व-नई रेखा के पिलर नं. 138 ब से पुरानी रेखा पीलर नं. 137 ब. दक्षिण-पुरानी रेखा के पिलर नं. 137 ब से कंजार्डा वन खण्ड की पुरानी रेखा के पिलर नं. 139. पश्चिम-आरक्षित वन कंजार्डा की पुरानी रेखा के पिलर नं. 139 से 141 तक.
	कंजार्डा	गंगाबावड़ी (डी) 10 से 13	508	4.624	उत्तर.—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 135 ब से पुरानी रेखा के पिलर नं. 131 ब. पूर्व.—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 131 ब से 136 तक. दक्षिण.—पुरानी सीमा रेखा का पिलर नं. 136. पश्चिम.—पुरानी सीमा रेखा का पिलर नं. 1?? से नई रेखा का पिलर नं. 135 ब.
	"	(ई) [illegible]	[illegible]	0.4[illegible]	उत्तर.—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 ब से 128 ब. पूर्व.—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 ब से पुरानी रेखा के पिलर नं. 128 ब. दक्षिण.—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 128 ब से 129. पश्चिम.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 129 से नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 ब.
	"	(एफ)	511	2.023	उत्तर.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 123 स से नई रेखा के पिलर नं. 123 ब. पूर्व.—नई रेखा के पिलर नं. 123 ब से 123 ब. दक्षिण.—नई रेखा के पिलर नं. 123 ब से पुरानी रेखा के पिलर नं. 123. पश्चिम.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 123 से 123 ब आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा.
	"	(जी)	516	0.324	उत्तर.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 ब रेखा के पिलर नं. 119 स. पूर्व.—नई रेखा के पिलर नं. 119 स से 119 ब तक. दक्षिण.—नई रेखा के पिलर नं. 119 ब से पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 ब. पश्चिम.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 ब से 119 ब आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा.

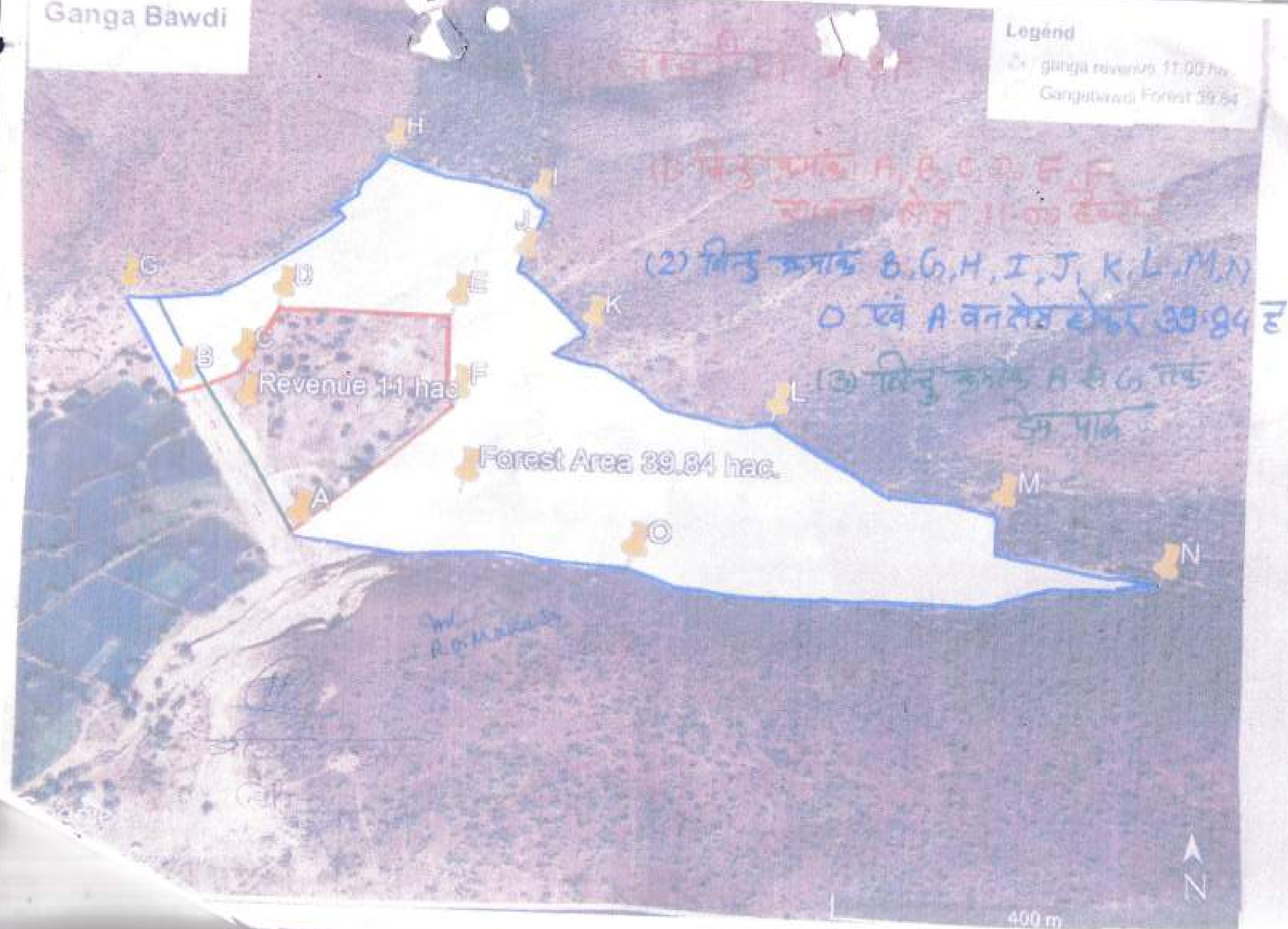
Ganga Bawdi
Legend
ganga revenue 11.00 ha
Gangabawdi Forest 39.84
(2) बिन्दु क्रमांक B, G, H, I, J, K, L, M, N
O एवं A वनक्षेत्र होकर 39.84 हे.
Revenue 11 hac
Forest Area 39.84 hac.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
N
400 m

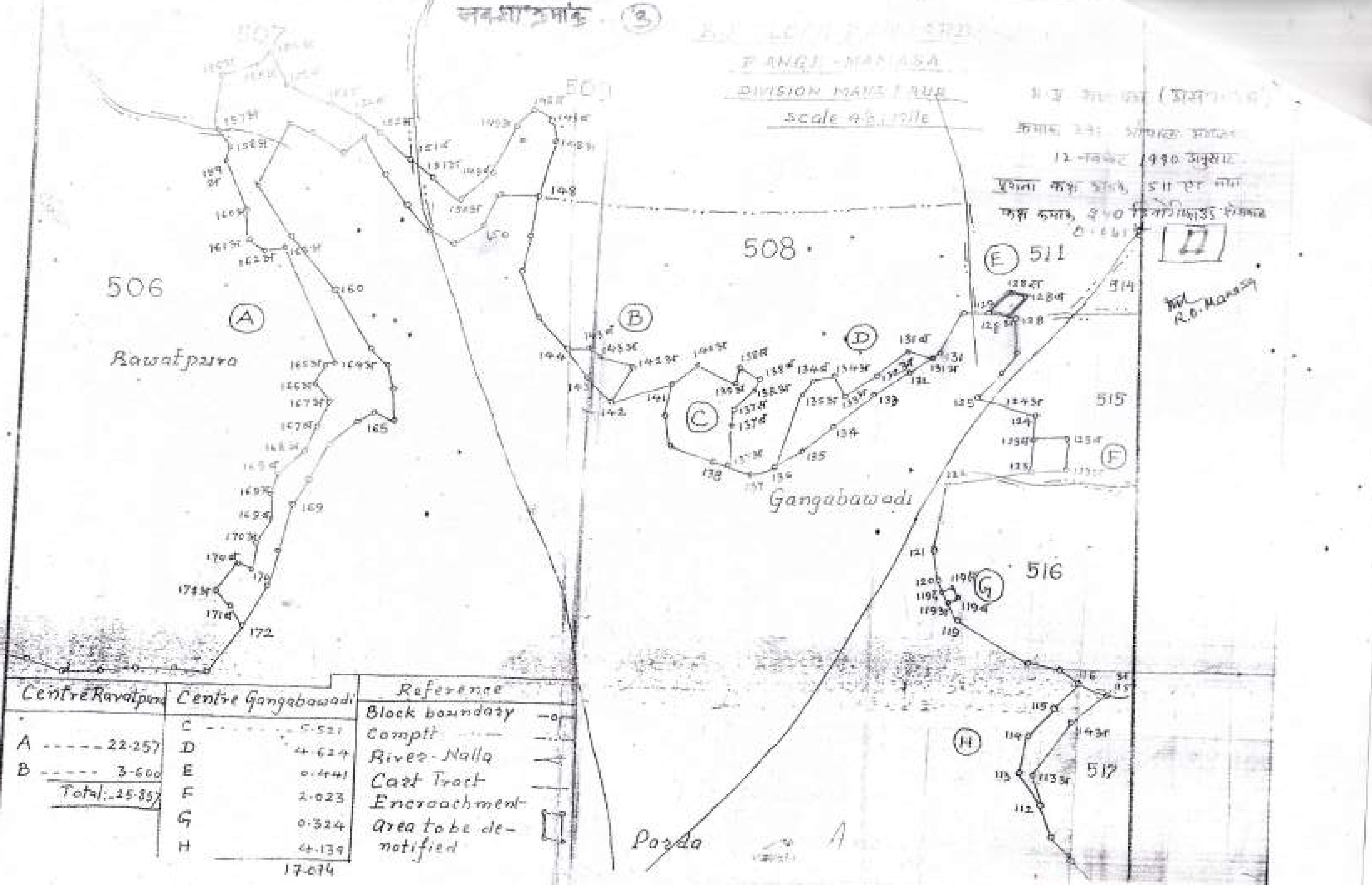

Centre Rawatpura		Centre Gangabawadi	
A	22.257	C	5.521
B	3.600	D	4.624
Total:	25.857	E	0.441
		F	2.023
		G	0.324
		H	4.139
			17.074

कार्यालय तहसीलदार, तहसील–मनासा, जिला–नीमच

क्रमांक– [illegible] /रीडर–1/2021 मनासा, दिनांक [illegible]

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
वन परिक्षेत्र–मनासा.

विषय – गंगा बावड़ी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि की जानकारी प्रस्तुत करने बाबत् ।

01– उपरोक्त विषयांतर्गत गंगा बावड़ी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के चिन्हांकन के अनुसार भूमि जो कि निजी स्वत्व की है तथा वन विभाग नक्शा शीट में कम नहीं की गई संबंधी जानकारी राजस्व निरीक्षक, मनासा/पटवारी, मौजा–पड़दा द्वारा इस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा	नाम
01	97	1.192	कंवरीबाई आदि वगैरह
02	98	1.295	कालू पिता जग्गा वगैरह
03	99/1	1.012	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
04	99/2	1.011	मांगीबाई बेवा मोहनलाल कीर आदि
05	100	2.023	फोंकलाल पिता नन्दा आदि
06	1097	0.441	रतन पिता रामा वगैरह आदि
07	1098	2.000	मानसिंह पिता लखनाथसिंह राजपूत
08	1100	0.324	मांगीबाई बेवा मोहनलाल कीर आदि

उपरोक्त आठ निजी भूमिस्वामियों की भूमि में से सर्वेनम्बर–97, 98, 99 (वर्तमान में सर्वेनम्बर–99/1, 99/2) 100, रकबा क्रमशः–1.012, 1.295, 2.023 (1.012, 1.011), 2.023 वर्ष–1961 में गांधीसागर बांध जलाशय के डूब विस्थापितों को ग्राम–पड़दा में वन भूमि से कम कर आवंटन की गई थी एवं राजस्व सीमा में सम्मिलित की गई थी, उक्त सर्वेनम्बरों के वर्ष 1968–69 के अधिकार अभिलेख अभिमान (बंदोबस्त) के पूर्व सर्वेनम्बर अलग थे इस कारण अधिकार अभिलेख (बंदोबस्त) के पूर्व सर्वेनम्बर अलग थे, अधिकार अभिलेख 1968–69 की प्रतिलिपियां (जिनमें नये पुराने नम्बर दोनों दर्ज थे) तथा वर्ष 1961–62 के खसरे की प्रतिलिपियां (जिनमें आवंटन के प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक दर्ज है) संलग्न है। (सर्वेनम्बर–1097, 1098, 1100 रकबा क्रमशः 0.441, 2.000, 0.324 की भूमि वन व्यवस्थापन के अभियान में मौके पर कब्जेदारों को आवंटित की गई थी एवं राजस्व रिकार्ड व नक्शे में शामिल की गई थी, सर्वेनम्बर–1097, 1098, 1100 के आवंटन के प्रकरणों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है)। उपरोक्त सर्वेनम्बर– 97, 98, 99 (99/1, 99/2) 100, 1097, 1098, 1100 रकबा क्रमशः 1.012, 1.295, 2.023 (1.012, 1.011), 2.023, 0.441, 2.000, 0.324 वन विभाग के नक्शे में आज दिनांक तक दर्ज हैं, वन विभाग के वनरक्षक श्री [illegible] मोहना, श्री हेमन्त [illegible] के सहयोग से तरमीम किया जाना प्रतिवेदित किया गया।

02– अतएव उपरोक्तानुसार राजस्व निरीक्षक, मनासा/पटवारी, मौजा–पड़दा द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदन, चालू नक्शा शीट, अधिकार अभिलेख 1968–69, वर्ष 1961–62 के खसरे, चालू वर्ष का खसरा, वन व्यवस्थापन के प्रकरणों एवं वन विभाग के नक्शा की प्रमाणित प्रतियों सहित प्रतिवेदन मय सहपत्र आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न – यथोपरि

तहसीलदार,
तहसील–मनासा

Scanned with CamScanner

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,
तहसील मनासा

विषय :- गंगाबावड़ी बांध परियोजना अंतर्गत वन से राजस्व में आने वाले निजी खातों की भूमि के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, गंगाबावड़ी बांध परियोजना के अंतर्गत आने वाली राजस्व की निजी खातों की भूमियां जो अलग अलग समय पर व्यवस्थापन कर वन से राजस्व में सम्मिलित की गई थी किंतु वर्तमान में वन विभाग के नक्शे में आर.एफ. लाईन के अंदर आ रही हैं। उक्त निजी खातों की भूमियों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	सर्वे नं.	रकबा	नाम भूमिस्वामी
01	97	1.092	कंवरीबाई आदि बारेठ
02	98	1.295	कालू पिता अमरा बारेठ
03	99/1	1.012	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
04	99/2	1.011	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
05	100	2.023	फेरूलाल पिता सेवा आदि
06	1097	0.441	रतन पिता सेवा आदि बारेठ
07	1098	2.000	मानसिंह पिता कल्याणसिंह राजपूत
08	1100	0.324	मांगीबाई बेवा मोहनलाल आदि कीर
योग-	08	9.198	

उपरोक्त आठ निजी भूमिस्वामियों की भूमि में से सर्वे नम्बर 97, 98, 99 (वर्तमान में बटा नम्बर 99/1, 99/2) 100, रकबा क्रमशः 1.012, 1.295, 2.023 (1.012, 1.011), 2.023 वर्ष 1961 में गांधीसागर बांध जलाशय के डूब विस्थापितों को ग्राम पड़दा में वन भूमि से कम कर आवंटित की गई थी एवं राजस्व सीमा में सम्मिलित की गई थी। उक्त सर्वे नम्बरों के वर्ष 1968-69 के अधिकार अभिलेख अभियान ([illegible]) के पूर्व सर्वे नम्बर अलग थे। इस कारण अधिकार अभिलेख 1968-69 की प्रतिलिपियां (जिनमें नए पुराने नम्बर दोनों दर्ज हैं) तथा वर्ष 1961-62 के खसरे की प्रतिलिपियां (जिनमें आवंटन के प्रकरण क्रमांक व दिनांक दर्ज हैं) संलग्न है।

निरंतर ....2 पर

Scanned with CamScanner

04 क्र. 1097, 1098, 1100 रकबा क्रमशः 0.441, 2.000, 0.324 की भूमि वन व्यवस्थापन के अभियान में मौके पर कब्जेदारों को आवंटित की गई थी एवं राजस्व रेकार्ड व नक्शे में शामिल की गई थी। सर्वे नं. 1097, 1098 एवं 1100 के आवंटन के प्रकरणों की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त सर्वे नम्बर 97, 98, 99 (99/1, 99/2), 100, 1097, 1098, 1100 रकबा क्रमशः 1.012, 1.295, 2.023 (1.012, 1.011), 2.023, 0.441, 2.000, 0.324 वन विभाग के नक्शे में आर.एफ. लाईन के अंदर वन विभाग के वनरक्षक श्री रंजीतसिंह बोराना, श्री हेमंत चारोर के सहयोग से तरमीम किए गए।

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की ओर सादर प्रेषित है।

दिनांक-

मूलतः अग्रेषित। [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] (म.प्र.)

गौतम पटवारी
[illegible]
आमद्‌दा, तह. मनासा

संलग्न
(1) [illegible] खसरा शीट
(2) अधिकार अभिलेख 1924-25 की प्रतिलिपि
(3) वर्ष 1961-62 के खसरे की प्रतिलिपि
(4) [illegible] की [illegible] प्रतिलिपि
(5) वन व्यवस्थापन के [illegible] (सर्वे नं. 1097, 1098 व 1100) की प्रतिलिपि
(6) वन विभाग का नक्शा

Scanned with CamScanner

डाक की पूर्व अदायगी के
बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिये अनुमत, अनुमति-पत्र
क्रमांक भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर 1990—कार्तिक 21, शके 1912

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 1990

क्र. एफ. 25-83-89-दस-तीन-(12):—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वन या वन का भाग जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1623- एक्स-एफ.-114, तारीख 9 अक्टूबर 1954 द्वारा रक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित हो जाने की तारीख से रक्षित वन नहीं रहेगा:—

अनुसूची

जिला—मंदसौर, डिवीजन—क्षेत्रीय मंदसौर, तहसील—मनासा, परिक्षेत्र—मनासा,

अ. क्र.	आरक्षित वन खण्ड का नाम	अतिक्रमण केन्द्र का नाम व क्रमांक	प्रकोष्ठ क्रमांक	रकबा (हेक्टर म)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कंजार्डा	रावतपुरा (ए) 4.5	508 507 509	22.257	उत्तर—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 156अ से 148 ब. पूर्व—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 148 ब से पुरानी सीमा रेखा कंजार्डा आरक्षित वन का पिलर नं. 148. दक्षिण—कंजार्डा आरक्षित वन खण्ड की पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 148 से 172 तक. पश्चिम—पुरानी रेखा के पिलर नं. 172 से नई रेखा के पिलर नं. 156ए.
	,,	(बी)	508	3.600	उत्तर—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 144 से नई सीमा रेखा के पिलर नं. 142 अ. पूर्व—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 142अ से पुरानी रेखा सीमा रेखा के पिलर नं. 142 आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा. दक्षिण—कंजार्डा आरक्षित वन खण्ड की पुरानी रेखा के पिलर नं. 142 से 143 तक. पश्चिम—आरक्षित वन कंजार्डा की पुरानी रेखा के पिलर नं. 143 से 144 तक.
		योग .. रावतपुरा केन्द्र		25.857	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	कंजार्डा	गंगाबावड़ी (सी) 10 से 13	508	5.521	उत्तर-आरक्षित वन कंजार्डा के पुराने पिलर नं. [illegible] सीमा रेखा के पिलर नं. 138 व. पूर्व-नई रेखा के पिलर नं. 138 व. से पुरानी रेखा पीलर नं. 137 प. दक्षिण-पुरानी रेखा के पिलर नं. 137 अ से कंजार्डा वन खण्ड को पुरानी रेखा के पिलर नं. 139. पश्चिम-आरक्षित वन कंजार्डा की पुरानी रेखा के पिलर नं. 139 से 141 तक.
	कंजार्डा	गंगाबावड़ी (डी) 10 से 13	508	4.624	उत्तर.—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 135 प से पुरानी रेखा के पिलर नं. 131 प. पूर्व.—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 131 अ से 136 तक. दक्षिण.—पुरानी सीमा रेखा का पिलर नं. 136. पश्चिम.—पुरानी सीमा रेखा का पिलर नं. 1[illegible] से नई रेखा का पिलर नं. 135 प.
	"	[redacted]		[redacted]	उत्तर.—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 स से 128 व. पूर्व.—नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 व से पुरानी रेखा के पिलर नं. 128 प. दक्षिण.—पुरानी सीमा रेखा के पिलर नं. 128 प से 129. पश्चिम.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 129 से नई सीमा रेखा के पिलर नं. 128 स.
	"	(एफ)	511	2.023	उत्तर.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 123 स से नई रेखा के पिलर नं. 123 ब. पूर्व.—नई रेखा के पिलर नं. 123 ब से 123 अ. दक्षिण.—नई रेखा के पिलर नं. 123 अ से पुरानी रेखा के पिलर नं. 123. पश्चिम.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 123 से 123 स आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा.
	"	(जी)	516	0.324	उत्तर.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 प रेखा के पिलर नं. 119 स. पूर्व.—नई रेखा के पिलर नं. 119 स से 119 ब तक. दक्षिण.—नई रेखा के पिलर नं. 119 ब से पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 अ. पश्चिम.—पुरानी रेखा के पिलर नं. 119 अ से 119 द आरक्षित वन खण्ड कंजार्डा.

for R.B. Mohanty

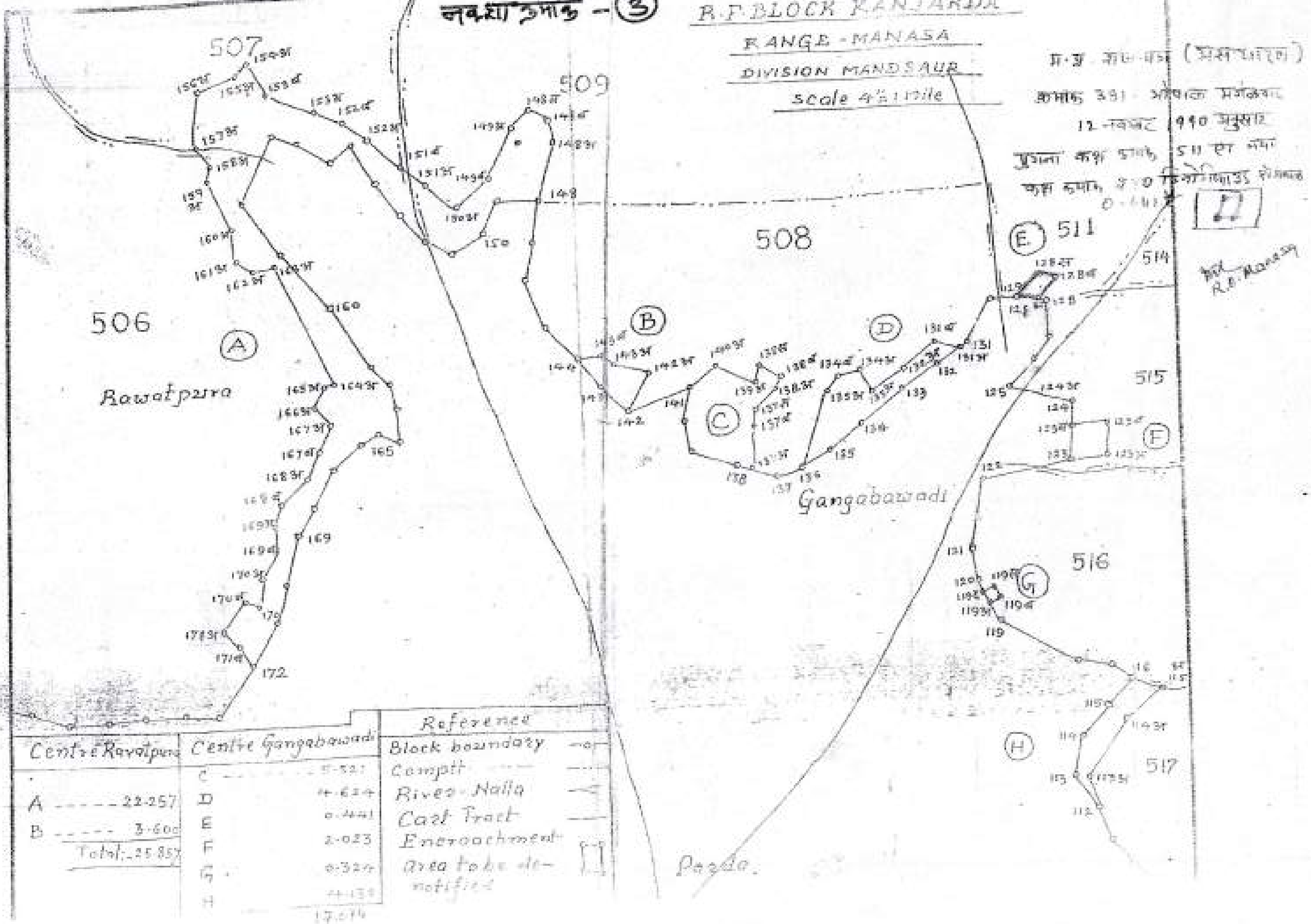
नक्शा क्रमांक - 3
R.F. BLOCK RANJARDA
RANGE - MANASA
DIVISION MANDSAUR
scale 4" = 1 mile
506
507
508
509
511
514
515
516
517
Rawatpura
Gangabawadi
Pagda
Reference
Block boundary
Compt
River-Nalla
Cart Track
Encroachment
area to be de-notified
Centre Rawatpura
A ----- 22.257
B ----- 3.600
Total 25.857
Centre Gangabawadi
C 5.521
D 4.624
E 0.441
F 2.023
G 0.324
H 4.131
17.084

Ganga Bawdi
Legend
ganga revenue 11.00 ha
Gangabawdi Forest 39.84
Revenue 11 hac
Forest Area 39.84 hac.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
(1) बिन्दु क्रमांक A, B, C, D, E, F
(2) बिन्दु क्रमांक B, G, H, I, J, K, L, M, N O एवं A वन क्षेत्र होकर 39.84 है.
(3) बिन्दु क्रमांक A से G तक डेम पाल

नक्शा क्रमांक 01 ...

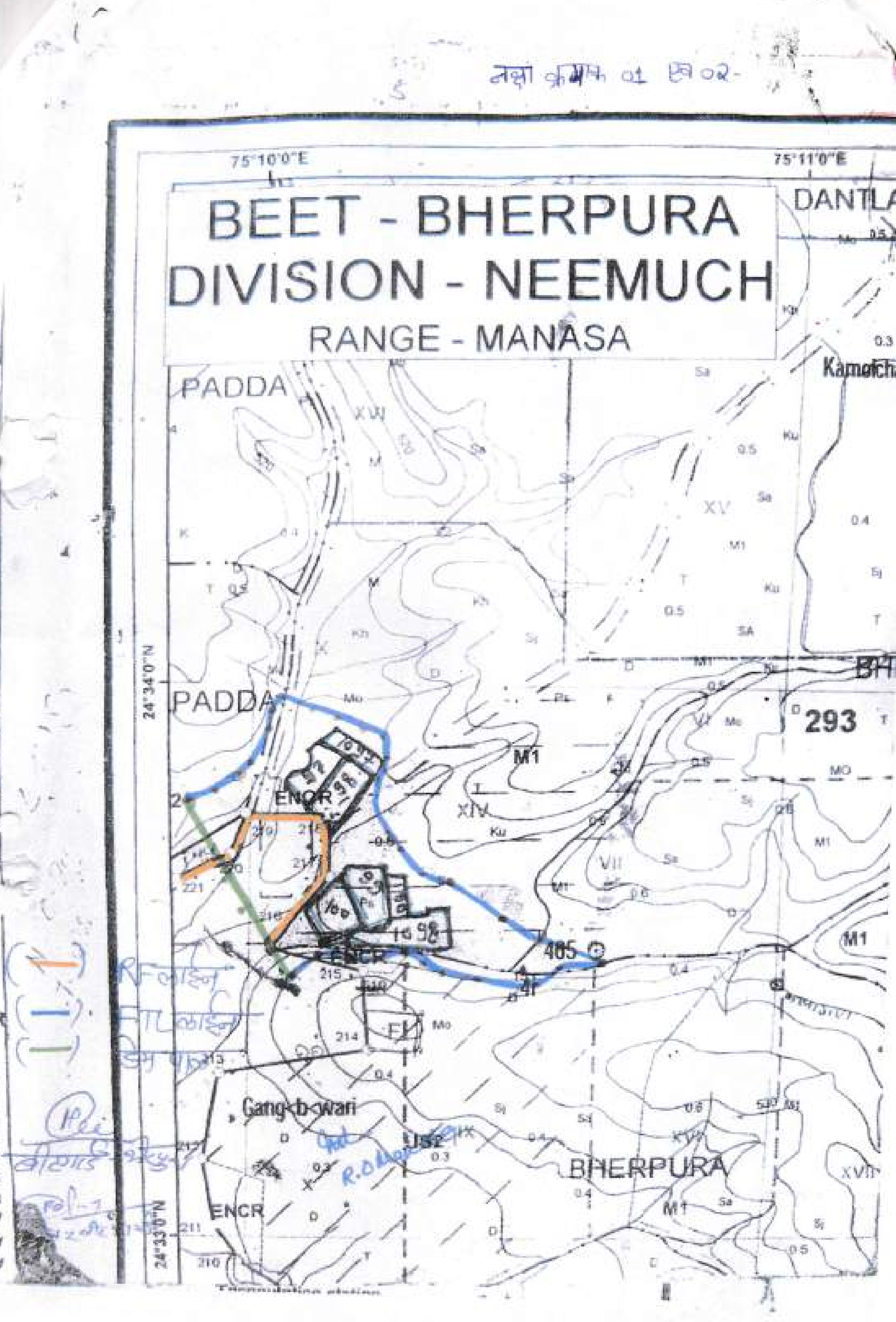

BEET - BHERPURA
DIVISION - NEEMUCH
RANGE - MANASA
75°10'0"E
75°11'0"E
24°34'0"N
24°33'0"N
DANTLA
PADDA
PADDA
Kamotcha
ENCR
ENCR
ENCR
293
405
Gang-b-wari
BHERPURA
RF लाइन

(4)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 82 / 2018 / 10–11 / 16 / भोपाल, दिनांक

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई–5, लिंक रोड़ नं. 3
रविशंकर नगर भोपाल–462016

विषयः–जिला नीमच के अंतर्गत गंगा बावडी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 39.399 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 25.02.2020

---0---

विषयांतर्गत में लेख हैं, कि यह प्रस्ताव पहले 36.00 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन का था। जिस पर आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 25.02.2020 को चर्चा हुई। आर.ई.सी. की बैठक में प्रस्ताव के संबंध मे निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

1- The DSS analysis and google earth show the construction work in the forest land which attract Para 1.21 of FCA Handbook 2019 for violation in Forest Land. Thus detailed report shall be submitted on following points ;

a. The proposal for Penal NPV as per the Para 1.21 (ii) of FCA Handbook 2019.

b. The proposal for Penal CA from the State Govt. of MP.

c. The State Govt. shall submit the details report as per Para 1.21 (ii) a, b, c & d of FCA Handbook 2019.

2- As per DSS analysis, the KML file of proposed diversion comes to be 41.43 ha in place of 36 ha and CA area (NFL) comes to be 62.45 ha in place of 36 ha. Thus, the area and KML file may kind be reconciled and correct map & KML file may be submitted and uploaded.

3- The revised site specific CA scheme shall be submitted as per the Para 2.8 (iii) of FCA Handbook 2019 and shall include the following points also:

a) Standard size Saplings to be planted (Minimum standard height and minimum collar girth species wise) as approved by the State Govt.

b) Soil & moisture conservation works.

c) Regeneration cleaning.

d) Silvicultural and other activities as prescribed in the working plan including all stumps upto 90 cm dressing of copping species from ground level.

e) Species to be planted (species wise number of pants)

उपरोक्त संबंध में लेख है, कि इस प्रस्तावित वनभूमि का संयुक्त मौका स्थल निरीक्षण कराने पर वनक्षेत्र का रकबा 39.84 हे0 आता है। इस 39.84 हे0 में से 0.441 हे0 वनभूमि का डीनोटिफिकेशन वर्ष 1990 में हो चुका है। इस प्रकार 0.441 हे0 भूमि को घटाने से प्रस्ताव में 39.399 हे0 वनभूमि प्रभावित होती है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस 39.399 हे0 भूमि में राजस्व विभाग के अभिलेखों के हिसाब से 9.198 हे0 राजस्व भूमि पर 08 पट्टेधारकों की भूमि शामिल है। जल संसाधन विभाग द्वारा इन 08 पट्टेधारकों को मुआवजा भी वितरित कर दिया है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों मे राजस्व भूमि होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु 39.399 हे0 गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। उक्त 39.399 हे0 गैर वनभूमि की पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना वनमण्डलाधिकारी, नीमच द्वारा तैयार की गयी है। जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है, साथ ही वनमण्डलाधिकारी, नीमच की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं डीनोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है

–2–

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx

Scanned with CamScanner

अतः इस 39.399 हे0 वनभूमि का संशोधित प्रस्ताव संलग्न कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

27/5/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 82 / 2018 / 10–11 / 16 / 1896 भोपाल, दिनांक 27/5/22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल नीमच, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच, मनासा नाका रोड, जिला नीमच, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

27/5/2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन मंडलाधिकारी
आवक क्र 3191
दि. 08/6/22
सामान्य वन मंडल, नीमच

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx

Scanned with CamScanner

(5)

Inspection Report by DFO-Neemuch (M.P.)

(Ganga Bawdi Tank Project)
(Proposal No.:- FP/MP/IRRIG/32285/2018)

Sl No.	Particular	Inspection Report By DFO (T)
1.	Extent is hectares.	43.149 Hactare
2.	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Attached (Annexure-I)
3.	Legal status of the forest land (protected forest, reserved forest, revenue forest lands or any other forest land)	Block name: Kanjarda; Legal status: Reserved Forest; Compartment no.: 287,290,293,295
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Done
5.	Any signs of encroachment.	Nil
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	Yes, Detail report is enclosed
7.	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Mixed Forest of Gurjan,Tendu ,Kadam, Dhawda, Saja, Mahua, Bargad, Siras, Mango, Neem, Amaltash, Baheda, Palash, Pipal, Chirol, Rinja, Semal, Bija, Kullu, Khair, Kardhai, Gular etc. Site quality VA. Density between 0.5 to 0.6.
8.	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	Wildlife Panther, Hyaena, Jackal, Wild Pig, Blue Bull, Monkey, Varanus, Mangoose, Hare, Peafowl , Crocodile, Vulture, Python are seen in this area.
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	Nil
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the working Plan and, if not, why ?	Yes, Rehabilitation and Improvement Management Working Circle fall in this area.
11.	Importance of the area from historical or religious point of view.	Nil
12.	Any dependent persons/families on this land.	Nil
13.	Any displacement of persons proposed.	Nil
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced ?	Nil
15.	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land than what is the current Working plan prescription for the areas? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	The non-forest land 43.149 hectares made available by User Agency, Some Part of non-forest land is not suitable for Compansatory Afforastation . So Compansatory Afforastation is proposed on non-forest land and degraded forest land. Details are given below:-

Scanned with CamScanner

03. On Forest Land:-

S. No.	Range	Comp. No.	Area (in Hac.)	Working plan prescription
01	Ratangarh	199	28.25	Rehabilitation Working Circle
02	Manasa	318	26.40	Rehabilitation Working Circle

04. On Non- Forest land:-

S. No	Village	Tehsil	Survey No.	Area (in Ha)	Distance from nearest forest area
01	Hanspur	Manasa	715,716, 717, 719/2	3.399	1.45 km.
02	Dabi, Jetliya	Singoli	01(S)	28.25	500 meter
03	Fusriya	Singoli	1150	7.75	900 meter
04	Danta, Bhagal	Manasa	490/2 (S), 498	3.75	03 km.

16.	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should'be more than 10 kms.	Proposed area is not a part of any protected area. The nearest protected area Ghandhisagar Sanctuary of Madhya Pradesh is Situated in more than 10 kms.
17.	Dependence of tribals in the area. Wheather the rights of the tribals have been recognized in this area.	Nil
18.	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	This project will accumulate large quantity of water which shall be very much usefull for the peoples, cattles and wild life as well. The presence of water in this area will also help in making the surrounding area green.
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	Nil
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	Yes
21.	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	Attached (Annexure-II)
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	No
23.	Any other issue of significance.	—
24.	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	Project for Sanction is recommended as per rule.

Enclosed-As above
Place:- Neemuch
Date:- 22-06-2024

(S.K. Atode)
I.F.S.
Divisional Forest Officer
Division Neemuch (M.P.)

Scanned with CamScanner

(Annexure-I)

Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion in GangabawdiTank Project 43.149 Hac.

Point No.	Latitude	Longitude	Point No.	Latitude	Longitude
1	24°33'55.61"	75°10'02.06"	28	24°33'30.60"	75°10'39.80"
2	24°33'55.47"	75°10'01.89"	29	24°33'31.49"	75°10'38.32"
3	24°33'53.40"	75°10'01.28"	30	24°33'32.41"	75°10'34.75"
4	24°33'47.50"	75°09'53.43"	31	24°33'34.97"	75°10'33.69"
5	24°33'47.18"	75°09'52.53"	32	24°33'34.59"	75°10'31.74"
6	24°33'47.09"	75°09'50.30"	33	24°33'37.19"	75°10'29.23"
7	24°33'40.70"	75°09'54.67"	34	24°33'39.82"	75°10'23.70"
8	24°33'42.20"	75°09'58.19"	35	24°33'40.67"	75°10'19.60"
9	24°33'46.45"	75°09'59.75"	36	24°33'41.81"	75°10'17.71"
10	24°33'46.39"	75°10'8.88"	37	24°33'44.78"	75°10'14.97"
11	24°33'48.42"	75°10'12.30"	38	24°33'45.44"	75°10'15.39"
12	24°33'48.93"	75°10'12.38"	39	24°33'47.67"	75°10'12.21"
13	24°33'50.80"	75°10'11.81"	40	24°33'48.39"	75°10'12.28"
14	24°33'54.33"	75°10'11.85"	41	24°33'31.13"	75°10'6.51"
15	24°33'56.46"	75°10'9.04"	42	24°33'31.43"	75°10'13.06"
16	24°33'56.66"	75°10'7.64"	43	24°33'29.78"	75°10'28.76"
17	24°33'56.19"	75°10'6.31"	44	24°33'29.98"	75°10'32.60"
18	24°33'56.40"	75°10'5.19"	45	24°33'30.58"	75°10'39.80"
19	24°33'57.74"	75°10'4.05"	46	24°33'30.17"	75°10'40.51"
20	24°33'55.61"	75°10'2.06"	47	24°33'28.31"	75°10'33.25"
21	24°33'46.38"	75°10'8.94"	48	24°33'28.62"	75°10'22.96"
22	24°33'39.75"	75°10'9.11"	49	24°33'28.98"	75°10'19.84"
23	24°33'32.02"	75°10'2.83"	50	24°33'30.62"	75°10'17.31"
24	24°33'31.20"	75°10'6.62"	51	24°33'30.94"	75°10'13.51"
25	24°33'31.48"	75°10'13.11"	52	24°33'31.07"	75°10'11.47"
26	24°33'29.79"	75°10'28.76"	53	24°33'30.84"	75°10'7.91"
27	24°33'29.85"	75°10'32.41"	-	-	-

Divisional Forest Officer
Division Neemuch

Scanned with CamScanner

कार्यालय – वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र मनासा

(E-mail rotmanasa@mp.gov.in Phone No. 07421-242065) नीमच रोड मनासा

क्रमांक / 2023 / 1784 मनासा, दिनांक 24.12.2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल नीमच

द्वारा:– उपवनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल मनासा ।

विषय:– जिला नीमच के अंतर्गत गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 39.399 है. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ:– आपका पत्र क्र./मा.चि./2023/5944 दिनांक 19.09.2023

—— :: 0 :0: 0 :: ——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि वन परिक्षेत्र मनासा के कक्ष क्रमांक 287, 290, 293 का कुछ वन क्षेत्र गंगाबावडी जलाशय परियोजना जल संसाधन विभाग संभाग नीमच के निर्माण में प्रभावित हो रहा हैं। जिसके व्यपवर्तन की कार्यवाही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रचलित हैं। वन भूमि के व्यपवर्तन के पूर्व जलाशय परियोजना में जल संसाधन विभाग, संभाग नीमच द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है, वर्तमान में कार्य अधुरा होने से गंगाबावडी जलाशय परियोजना में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र में जल भराव नही हुआ है। भारत सरकार से अनुमति के पुर्व निर्माण कार्य के तहत पाल निर्माण कार्य राजस्व क्षेत्र के साथ–साथ व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के कक्ष क्रमांक 287 बीट पडदा के कुछ वनक्षेत्र में भी किया गया है, साथ ही व्यपर्वतन हेतु प्रस्तावित कक्ष क्रमांक 287, 290, 293 के वनक्षेत्र में अवैध उत्खनन पाया गया है। आपके सदर्भित पत्र के पालन में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 26.07.2022 के बिन्दु क्र. 02 से ली गई आपत्ती की जांच दिनांक 06.12.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता, वन स्टाफ एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग उपसंभाग रामपुरा जिला नीमच के मौके पर उपस्थित होकर की गई। वर्तमान में प्रचलित मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के अंतर्गत बनाई गई पाल एवं वन क्षेत्र में किये गये उत्खनन का मौका सत्यापन किया गया। जिसमें निम्नानुसार स्थिति पाई गई–

01. कक्ष क्रमांक 287 में निर्मित पाल से प्रभावित वनक्षेत्र का विवरण

क्र.	विवरण
1	पाल के जी.पी.एस. निर्देशांक :–N- 24° 33' 41.00" E- 75° 09' 56.00" से N- 24° 33' 48.40" E- 75° 09' 53.00" पाये गये।
2	पाल की वनक्षेत्र में लम्बाई ~~लगभग~~ 190 मीटर है।
3	पाल की औसत चोडाई 32.69 मीटर एवं औसत उंचाई 6.47 मी. है।
4	इस प्रकार पाल निर्माण में 0.621 हैक्टेयर वनक्षेत्र प्रभावित हुआ है।

प्रा०नि

उप वनमण्डलाधिकारी मनासा
जावक क्र.....85.....
दिनांक....1/1/24
उपवनमण्डल वन मण्डल, नीमच

21-24

Scanned with CamScanner

02. व्यपर्वतन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के क्षेत्र में अवैध खुदाई कार्य पाया गया है। वनक्षेत्र में खोदे गये गड्डों का दिनांक 06.12.2023 को मापजोक कर प्रभावित क्षेत्रफल एवं गहराई निकाली गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	बीट/ कक्ष क्र.	जी.पी.एस. निर्देशांक	प्रभावित रकबा(हे.मे)	गहराई (मी. मे)	उत्खनित मात्रा (घ.मी मे)
1	2	3			
1	पडदा/287	N- 24° 33' 45.77" E- 75° 09' 59.50"	0.0900	1.50	1350
2	पडदा/287	N- 24° 33' 48.50" E- 75° 09' 59.00"	0.0400	1.00	400
3	पडदा/290	N- 24° 33' 48.74" E- 75° 10' 00.95"	0.0500	1.30	650
4	पडदा/290	N- 24° 33' 50.13" E- 75° 10' 03.53"	0.0600	2.50	1500
5	पडदा/290	N- 24° 33' 46.73" E- 75° 10' 09.00"	0.0012	1.00	12.5
6	भेरपुरा/293	N- 24° 33' 39.30" E- 75° 10' 10.35"	0.3000	2.25	6750
7	भेरपुरा/293	N- 24° 33' 38.00" E- 75° 10' 12.95"	0.1000	2.50	2500
8	भेरपुरा/293	N- 24° 33' 36.00" E- 75° 10' 08.80"	0.0375	1.00	375
		योग	0.679	—	58790

युजर एजेंसी जल संसाधन विभाग, संभाग नीमच द्वारा गंगाबावडी जलाशय निर्माण कार्य हेतु व्यपर्वतन के लिये प्रस्तावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 287 में 190 मीटर पाल निर्माण में रकबा 0.621 हेक्टेयर एवं कक्ष क्रमांक 287, 290, 293 के वनक्षेत्र में अवैध उत्खनन से रकबा 0.679 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 1.300 हेक्टेयर वनक्षेत्र में अनुमति के पुर्व कार्य कर वनक्षेत्र प्रभावित किया है। रकबा 0.679 हेक्टेयर में उत्खनन कर लगभग 58790 घ.मी.के गडडे किये गये हैं।

मौका स्थल का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 23.12.2023 को वनस्टॉफ मनासा के हमराह किया गया जिसमे वनक्षेत्र में बनाई गई पाल का मापन एवं अवैध उत्खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।

प्रतिवेदन महोदय की ओर अवलोकनार्थ संप्रेषित।

संलग्न – मौका पंचनाम 03 एवं मानचित्र

(शाश्वत द्विवेदी)
वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

कार्यालयःउप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)

क्रमांक/मा.चि./2023/1593 मनासा, दिनांक :– 27/12/2023

मुलतः वनमण्डलाधिकारी महोदय की ओर वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुवे अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

(आर.ओ.पी.परमार)
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

मौका पंचनामा

दि० 06/12/2023

हम पंचान मौका पंचनामा लिखने वाले यै तस्दीक कर देते है की आज दिनांक 06/12/2023 को सौपार वनमण्डलाधिकारी महो० नीमच के पत्र क्र०/मा०चि०/2023/5944 दि० 19/09/2023 के पालनार्थ वनपरिक्षेत्राधिकारी महो० मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग रामपुरा के हमराह रहकर प्रस्तावित गंगाबावड़ी डेम की पाल का मौका सत्यापन किया। जिसमें GPS निर्देशांक

N-24°33'41.0" E-75°09'56.0" से N-24°33'48.40" E-75°09'53.0" तक 190 मीटर

पाल वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 287 बीट-पड़दा में पाई गई। पाल की माप निम्नानुसार है-

लम्बाई	औसत चौड़ाई	औसत ऊंचाई	घ०मी०
190 मीटर	$\frac{60.38+5}{2}$ = 32.69 मी०	6.47 मी०	40185 घनमीटर

मौके पर पंचनामा तैयार कर पढ़कर सुनकर हस्ताक्षर किये। जो वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया

RFO Manasa

(दिनेशचन्द्र पाटीदार) व०र०क० पड़दा

S.D.O, W.R.D Rampura

R.G. Patidar Sub Engineer

हेमन्त बसेर (व.र.)

का.वा.-कायम

वनरक्षक बीटगार्ड - भेरपुरा

वन रक्षक बीट झाडोल

R.R. Parmar SDO Manasa

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

मौका पंचनामा

दि. 06/12/2023

हम पंचान नीचे हस्ताक्षर करने वाले मैं सच-सच लिख देते हैं की आज दिनांक 06/12/2023 को श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महो. नीमच के पत्र क्र./मा.चि./2023/5944 दि. 19/09/2023 के पालनार्थ वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा (नीमच) के हमराह रहकर प्रस्तावित - गंगाबावड़ी डेम स्थल का मौका सत्यापन किया। जिसमें जल भराव क्षेत्र की वनभूमि पर निम्नानुसार खुदाई पाई गई —

क्र.	कक्ष क्रमांक/बीट	GPS रीडिंग	रकबा	गहराई	घ.मी.
01.	287/पड़दा	24°33'45.77" 75°09'59.50"	0.09 ha	1.50 Mtr	1350
02.	287/पड़दा	24°33'48.50" 75°09 59.00"	0.04 ha	1.00 Mtr	400
03.	290/पड़दा	24°33'48.74" 75°10' 00.95"	0.05 ha	1.30 Mtr	650
04.	290/पड़दा	24°33'50.13" 75°10' 03.53"	0.06 ha	2.50 Mtr	1500
05.	290/पड़दा	24°33'46.73" 75°10' 09.00"	0.00125 ha	1.0 Mtr	12.5
06.	293/भैरपुरा	24°33'39.30" 75°10' 10.35"	0.30 ha	2.25 Mtr	6750
07.	293/भैरपुरा	24°33'38.30" 75°10' 12.95"	0.10 ha	2.50 Mtr	2500
08.	293/भैरपुरा	24°33'36.00" 75°10'08.80"	0.0375 ha	1.00 Mtr	375

मौके पर पंचनामा तैयार कर बाद पढ़कर सुनकर हस्ताक्षर किये जो वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया

RFO Manasa.

दिनेश पाटीदार वनरक्षक बीट पड़दा

R.R. Parmar SDO Manasa

S.D.O. W.R.D Rampura

R. Patidar Sub-Engineer (आर.पी. पाटीदार)

हेमन्त कुमार (बी.टी.) बीटगार्ड - भैरपुरा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

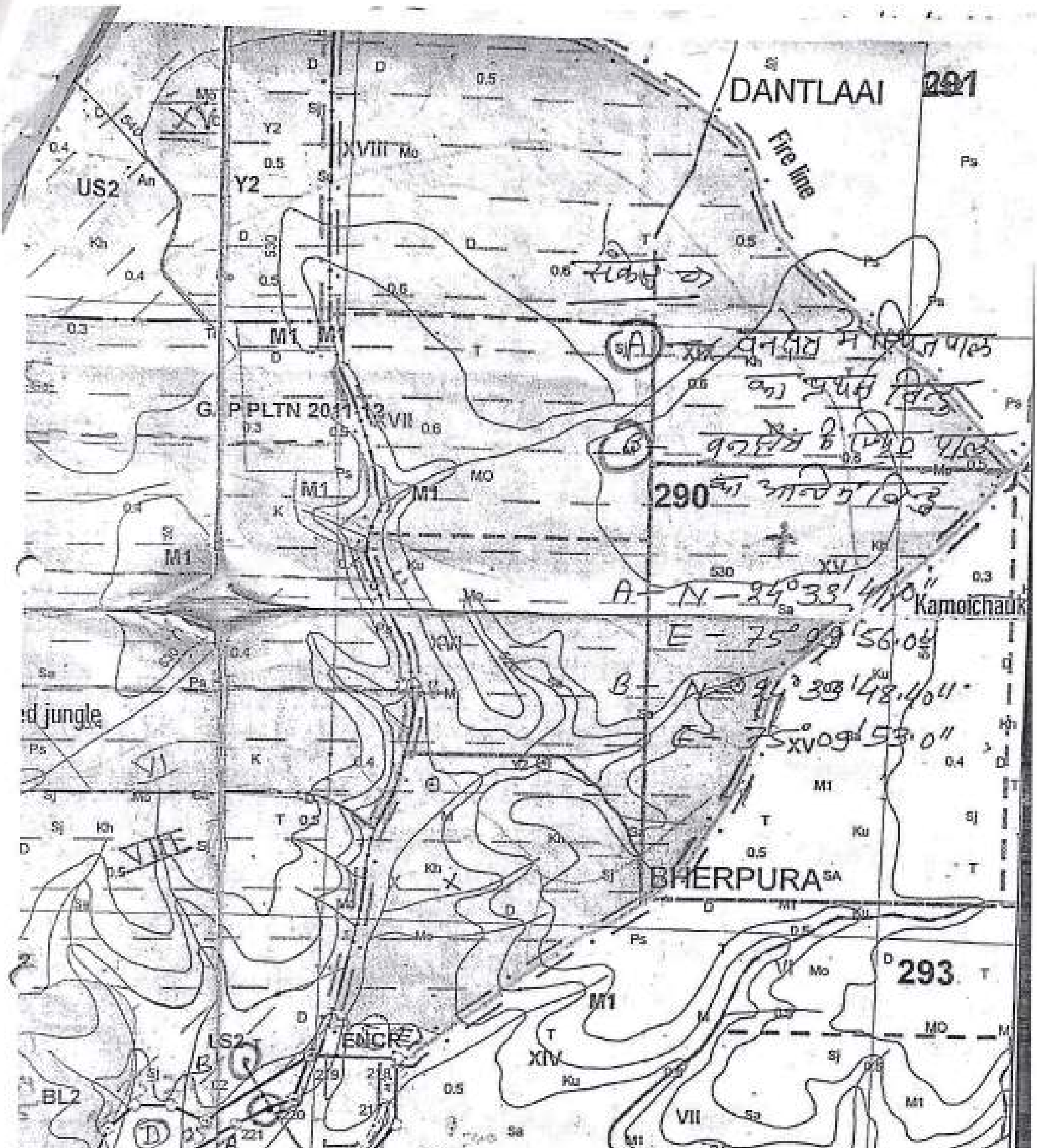

Scanned with CamScanner

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, नीमच जिला नीमच (म.प्र.) (कार्या.कोड–0237)
फोन नं. 07423–232411, ईमेल eewrd_neemuch@yahoo.co.in

–: संक्षिप्त टीप :–

गंगावावडी जलाशय योजना के बांध कार्य स्थल चयन की सार्थकता (Justification) के संबंध में संक्षिप्त टीप

गंगावावडी जलाशय योजना तहसील मनासा जिला नीमच हेतु जिस बांध स्थल का चयन किया गया है वह एक मात्र उचित विकल्प है। इस बांध स्थल के Longtidue 75°-10'-00' तथा Lattitude 24°-33-30" है। इस बांध स्थल के नीचे कार्य स्थल का विकल्प नहीं है, क्योंकि इसके नीचे Down Stream में गंगाबावडी ग्राम की आबादी है तथा चयनित बांध स्थल के ऊपर Up Stream में भी बांध स्थल के विकल्प पर विचार किया गया, किन्तु बांध स्थल Up Stream में ले जाने पर बांध में पानी की क्षमता कम हो जाती है एवं वन क्षेत्र भी बढ जाता है।

अतः चयनित बांध स्थल के अलावा विकल्प नहीं होने से तथा इसमें प्रभावित्त वन भूमि 43.149 हेक्टर तथा गैर वन भूमि (निजी भूमि) 14.41 हेक्टर कुल रकबा 57.559 हेक्टर है, जो कि न्यूनतम है, इसकी गणना की जा चुकी है।

(हिमांशु भावोर)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा

(विमल श्रीवास्तव)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग नीमच

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल नीमच

Scanned with CamScanner

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)
TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

File No. 6-MPC011/2020-BHO/366 Dated : 15/04/2025.

To,

The Additional Director General of Forests (FC)
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi - 110 003.

Sub: Site Inspection for diversion of 43.149 ha Reserve Forest land in favour of the Water Resource Department for the construction of Ganga Bawari Tank Project under Neemuch District of Madhya Pradesh State **((Online proposal No. FP/MP/IRRIG/32285/2018)**

Ref: MoEF&CC, New Delhi Letter no. 8-19/2024-FC dated 03.12.2024

Sir,

With respect to the subject and reference cited above, the Site Inspection Report of Regional Office, Bhopal in respect of 43.149 ha Reserve Forest land in favour of the Water Resource Department for the construction of Ganga Bawari Tank Project under Neemuch District of Madhya Pradesh State is submitted herewith for further necessary action.

Yours faithfully

Encl : As above.

(Ashok Kumar Sinha)
Dy. Director General of Forests (C)

Copy to:

Shri Suneet Bhardwaj, AIGF, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (FC Division), Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bag Road, Aliganj, New Delhi.

Field Inspection Report of Rajesh Darade , IFS, AIGF (C), RO Bhopal

Ref: **MoEF&CC, New Delhi Letter no. 8-19/2024-FC dated 03.12.2024**

Date of Inspection: 14/01/2025 & 15/01/2025

Officers present at the time of inspection: -

1) Shri Rajesh Darade, Assistant Inspector General of Forests (C), Regional Office, MoEF&CC, Bhopal.
2) Shri S. K. Atode, DFO, Neemuch
3) Shri R. R. Parmar, Sub DFO, Neemuch
4) Shri Shashvat Divedi- Forest Range Officer
5) Shri Mahesh Patidar- FBO,
6) Shri Vimal Shrivastva, Executive Engineer, WRD
7) Shri Himanshu Bhabor, SDO, WRD
8) Other Forest Officials - Forest Division

Title of the Project:		Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for non-forestry use of 43.149 ha Reserve Forest land in favour of the Water Resource Department for the construction of Ganga Bawadi Tank Project under Neemuch District of Madhya Pradesh State. **(Online proposal No. FP/MP/IRRIG/32285/2018)**
1.	Legal status of the forest land proposed for diversion:	Reserved Forest: 43.149 ha
2.	Item-wise break-up details of the forest land proposed for diversion:	Following is the break-up details of the proposed area for diversion: (see table below)
3.	Whether proposal involves any construction of buildings (including residential) or not. If yes, details thereof:	No

No.	Component	Name of Forest Division	Range	Forest Compartment no.	Area (ha)
1	Approach and Spill	Neemuch	Manasa	RF-287,290,293 &295	1.48
2	Main dam				0.5
3	submergence area				41.169
	Total				43.149

4.	Total cost of the Project at present rates:		Rs. 1501.24 Lakhs (As per online Part-I)
5.	Wildlife:		Wildlife Panther, Hyaena, Jackal, Wild pig, Blue Bull, Monkey, Mangoose, Hare, Peafowl, Vulture, Python, etc.
6.	Vegetation:		Eco Class-3 and Canopy Density is 0.6 to 0.7 The main species found in the area are as follows: - i. *Diospyros melanoxylon* ii. *Anthocephalus cadamba* iii. *Anogeissus latifolia* iv. *Terminalia tomentosa* v. *Madhuca indica* vi. *Acacia leucophloea* vii. *Pterocarpus marsupium* viii. *Azadirachta indica* ix. *Terminalia bellarica* x. *Butea monosperma* xi. *Cassia fistula* xii. *Holoptelea integrifolia* xiii. *Mangifera indica* xiv. *Albizia procera* xv. *Acacia catechu* xvi. *Sterculia urens* xvii. *Ficus religiosa* xviii. *Ficus benghalensis* xix. *Bombax ceiba*
7.	Background note on the proposal:		The Ganga Bawadi Tank Project is a part of water conservation and management scheme located in Neemuch district of Madhya Pradesh. It is part of a regional initiative to increase water availability and resources. The initiative focuses on irrigation, drinking water, and other local requirements of the people, livestock, and animals, particularly in drought-prone and severe water scarcity regions. 1. The User Agency had applied for forest clearance in 2018. 2. The proposal was discussed in 43rd REC meeting dated 26.02.2020 at agenda no. 09. REC deferred the proposal wants of some information. 3. The State Govt. of MP submitted the reply vide letter dated 27.05.2022 and revised the proposal to 39.399 ha. 4. The Regional Office, Bhopal raised EDS vide letter dated 26.07.2022 to State Govt. to re-check the proposed area for diversion and other information.

5. The State Govt. of MP submitted the reply vide letter dated 27.08.2024 and revised the proposal and the proposed area again becomes 43.149 ha. According to the existing FCA rules and guidelines, the proposal was sent to MoEF &CC, New Delhi.

8. Compensatory Afforestation:

As per SIR/Part-II

Sr. No.	District/Division	Village	Khasra No.	Area (ha)
1	Neemuch	Fusariya	1158	7.75
2		Hanspur	715, 716, 719, 721	3.399
3		Daanta, Bhagal	497/2(s), 498	3.75
4		Dabi jetiliya	01 (s)	28.25
Total				43.149

Sr. No.	Forest Division	Range	Forest Comp.	Area (ha)
1	Neemuch	Ratangarh	199	28.25
2		Manasa	318	26.40
Total				54.65

9. Whether proposal involves violation of Forest (Conservation) Act, 1980 or not. If yes, a detailed report on violation including action Taken against the concerned officials:

Yes

Details of violation:

The construction of main Dam (Earthen barrage) had been started but not yet completed. At the two ends of the Earthen barrage, the construction has taken place in RF land without the prior approval of the Central Government. Hence, the necessary prior approvals for construction were not obtained from the MoEF&CC. Thus, resulting in to the violation of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The large portion of the main Dam (Submergence area) is outside Reserved Forest.

The vide letter no. 1815/work/Ganga Bawadi Tank/2024 dated 30.07.2024 of Water Resource Department reported that the details of violation as follows:

a) Period of work done (in Years): Year 2017-2018
b) Area of forest land involved in violation (in ha.): Total Area 1.30 ha
c) Name of person(s) responsible for violation: Shri M.A. Siddiqui, Sub Engineer. WR Sub Div. Rampura
d) The Forest Department had stopped the construction work but no action taken against the concern WRD official.

10.	Whether proposal involves rehabilitation of displaced persons. If yes, whether rehabilitation plan has been prepared by the State Government or not:		No
11.	Reclamation Plan: (If applicable, submit details and Financial allocation:		-
12.	Details on catchment and command area under the project:		The Catchment area is 12.81 sq km. The Command area-430 ha.
13.	Cost benefit ratio:		1:1.35
14.	Recommendations of the Principal Chief Conservator of Forests/State Government:		The proposal is recommended by the Addl. Principal Chief Conservator of Forests & State Government in Part-IV & Part-V.
15.	Utility of the Project:		The Ganga Bawadi Tank project is the water conservation and management initiative project located in the Neemuch District of Madhya Pradesh. It is part of the efforts to improve water availability and water resources in the region. The project is focused on irrigation, drinking water and other local needs of the peoples, cattle's and wildlife as well, especially in the areas prone to drought and severe water shortage.
16.	Whether land being diverted has any socio cultural/religious value:		No.
17.	Situation w.r.t. Any P.A.		Proposed area is neither a part of any protected area nor it falls in any Tiger Corridor. The nearest protected area, The Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary of Madhya Pradesh is situated at a distance of more than 10 kms.
18.	Any other information relating to the Project:		-

19.	**Specific comments/ observation of inspecting officer**

INSPECTION OF THE PROPOSED DIVERSION AREA

Date of Inspection: 14/01/2025
Forest Division-Neemuch Forest Division
Range-Manasa
Forest Block name-Kanjarda
Comp. No. RF-287, 290, 293 & 295; Area-43.149Ha

GoI, MoEF & CC (FC Division), letter No. 8-19/2024-FC, Dated-03th December, 2024, the Regional Office, Bhopal was requested to submit/upload the Site inspection reports of area proposed for diversion of The Ganga Bawadi Tank Project i.e. 43.149 ha (Online proposal No. FP/MP/IRRIG/32285/2018) and its CA area. Accordingly, the site inspection was carried out on 14/01/2025 & 15/01/2025.

The Ganga Bawadi Tank is situated near village Ganga Bawadi of Tehsil Manasa, District Neemuch. The catchment area is 12.81 sq km. The live storage of the tank is 2.144 M.cum. The construction of dam will provide rabi irrigation to approximately 430 ha. land of nearby villages. It will also raise the ground water level of the region.

The proposed area for diversion is found to be a gentle slope towards west side and hills on three side of proposed area i.e. North, South and East. The proposed project area constitutes forest area (RF) 43.149 ha and non-forest land 14.41 ha. The vegetation in the area was found to be sparse near to the Dam site and density varying with about 0.6 to 0.7 in the catchment area. It has observed that the area coming under submergence is at the foot hills of the adjoining hills. The common vegetation found in the area *Diospyros melanoxylon, Anogeissus latifolia, Terminalia tomentosa, Madhuca indica, Azadirachta indica, Terminalia bsellarica, Holoptelea integrifolia, Ficus benghalensis, Dipterocarpus turbinatus,* etc. As enquired from local forest Officials, wildlife presence in the area is Panther, Hyaena, Jackal, Wild pig, Monkey, Mangoose, Hare, Peafowl, Vulture, Python, etc.

It is observed that; the area is very dry due to low rainfall (800 mm) specially during the summer. Due to this flora and fauna including human population and local cattle are facing water scarcity.

The project is proposed to be constructed on seasonal stream, flowing mainly during rainy season. The Ganga Bawadi tank will come on the eastern and north eastern side of the Earthen

Barrage. Therefore, the project would help in impounding water for larger period of time which would be useful for local flora, fauna and human settlements in the region.

As observed in the site location of the proposed area for diversion:

1. **The construction of both ends of the earthen barrage fall into the Reserved Forest compartment no. 287.**
2. **In the Reserved Forest compartment no. 290 & 293, the ground i.e. Submergence area was broken, borrow pits were found. The soil was used and transported for the construction of the earthen barrage.**

The necessary prior approvals for construction were not obtained from the MoEF&CC. Thus, resulting in to the violation of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

As enquired from the DFO, Neemuch, no action was taken against the concern WRD Officials and Forest Officials for allowing the violation.

INSPECTION OF CA AREA

Date of Inspection: **14/01/2025**

Officers present at the time of inspection: -

1) Rajesh Darade, Assistant Inspector General of Forests (C), Regional Office, MoEF Bhopal.
2) Shri S. K. Atode, DFO, Neemuch
3) Shri R. R. Parmar, Sub DFO, Neemuch
4) Shri Shashvat Divedi- Forest Range Officer
5) Shri Mahesh Patidar- FBO,
6) Shri Vimal Shrivastva, Executive Engineer, WRD
7) Shri Himanshu Bhabor, SDO, WRD
8) Other Forest Officials - Forest Division

**1) District-Nemeuch; Division-Neemuch Forest Division
Range-Manasa; Village -Hanspur, Khasra Nos.- 715, 716, 719, 721, Area-3.399 Ha**

It is generally a plain which gentle slope towards west side. The depth of the soil is very thin with coarse grain rock structures. The area is prone for animal grazing. It is interspersed with very small seasonal stream moving towards north west side. Certain natural growth of trees was found to be existing e.g. *Acacia Leucophloea*, etc. As enquired form the concern forest staff, the wildlife in the area comprises of Nilgai, Jackals, Leopards and pythons, etc.

The area requires soil and moisture conservation works such as staggered contour trenching, check dams, percolation tanks at suitable locations for proper rejuvenation of the area. On the whole, the area is found to be suitable for raising plantations with native species such as *Phyllanthus emblica, Tectona grandis, Azadirachta indica, Capsicum annuum, Dalbergia sissoo, etc.* after protecting the area by chain link fence.

2) **District-Nemeuch; Division-Neemuch; Range-Manasa; Village -Bhagal , Khasra Nos.- 497, 498, Area-3.75 Ha**

It is generally a plain which gentle slope towards north side. The depth of the soil is moderate with the soil structures is red coarse grain rock structures. The area is prone for animal grazing. The area infested with Lantana camara. As enquired form the concern forest staff, the wildlife in the area comprises of Nilgai, Jackals and pythons, etc. It was further observed that certain staggered contour trenching works was earlier done by the local villagers under MGNREGS (Panchayat), the impressions of which are clearly visible on Google Imagery.

The Soil conservation works like continuous contour trenching, Staggered contour trenching, Percolation tanks, etc. at suitable locations are suggested for better results. The area is found suitable for raising CA plantation with native species *Azadirachta indica, Capsicum annuum, Dalbergia sissoo, etc.* after protecting the area all around with chain link fencing.

3) **District-Nemeuch; Division-Neemuch; Range-Ratangarh; Beat-Baanda, Village -Dabi, Khasra Nos.- 1 (S), Area-28.25 Ha**

It is generally a plain which gentle slope towards southern side. The depth of the soil is moderate with the soil structures is sandy stone rock structures. The area is prone for animal grazing. As enquired form the concern forest staff, the wildlife in the area comprises of Nilgai, Jackals and pythons, etc.

The Soil conservation works like continuous contour trenching, Staggered contour trenching, Percolation tanks, etc. at suitable locations are suggested for better results. For maintenance/irrigation of plantation a bore well with solar pump is suggested. On the whole, the area is found to be suitable for raising plantations with native species such as *Phyllanthus emblica, Tectona grandis, Azadirachta indica, Capsicum annuum, Dalbergia sissoo, etc.* after protecting the area by chain link fence. The area is found suitable for raising CA plantation with native species after protecting the area all around with chain link fencing.

20	Comments of Assistant Inspector General of Forests (C)along with detailed reasons:		Taking into consideration the observations as illustrated above and the fact that the Ganga Bawadi Tank Project is the water conservation and irrigation project in the drought prone and severely water shortage area of the Neemuch District of the Madhya Pradesh. The construction of dam will provide rabi irrigation to 430 ha land of the nearby villages. The project is approximately 90% percent is already completed. **In the interest of public, the project is recommended for approval subject to imposition of penal provisions as deemed fit in the light of the violations as mentioned above.**

(Rajesh Darade)
Assistant Inspector General of Forests (C)

21	**Comments and Recommendation of Deputy Director General of Forests, Regional Office Bhopal**		Agreed with the observations made by AIG. The project involves violation of VAN (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Therefore, the proposal is recommended for approval subject to imposition of Penal provisions as deemed fit for in the light of the violation as mentioned above

(Ashok Kumar Sinha)
Dy. Director General of Forests
Regional Office, Bhopal

Photographs of Inspection

Inspection photographs of Diversion Area

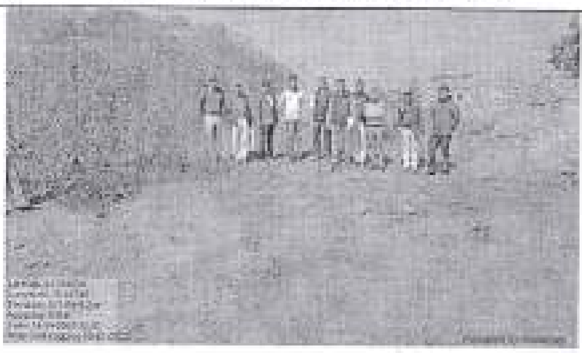

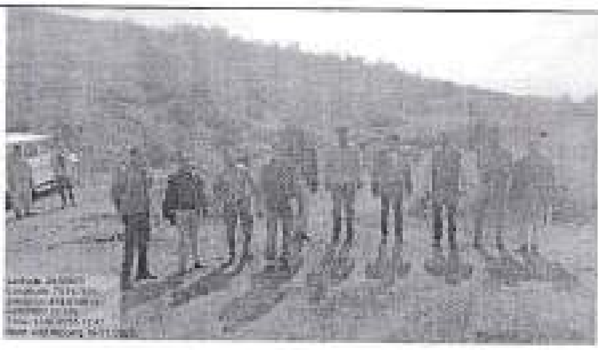

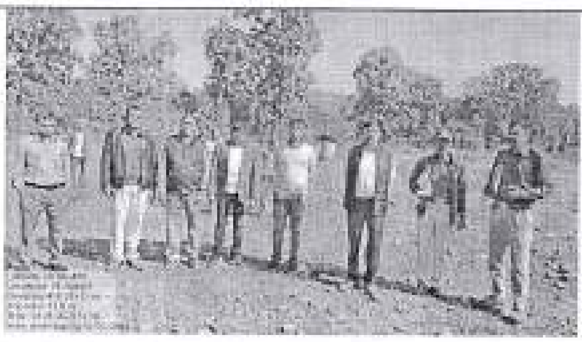

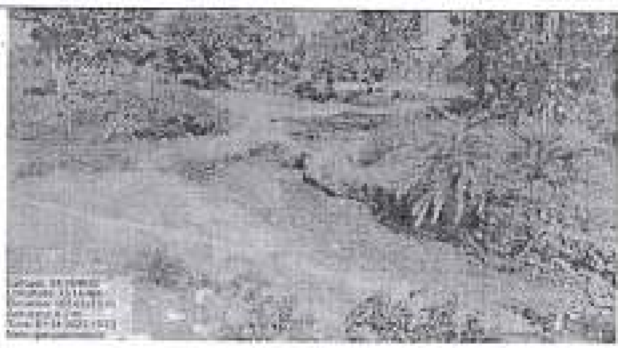

Inspection photographs of CA Area

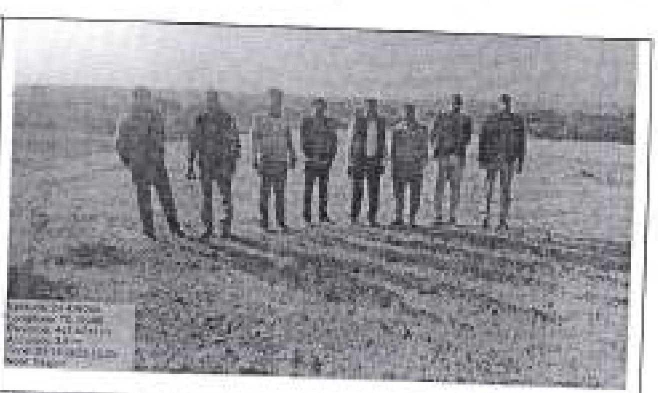
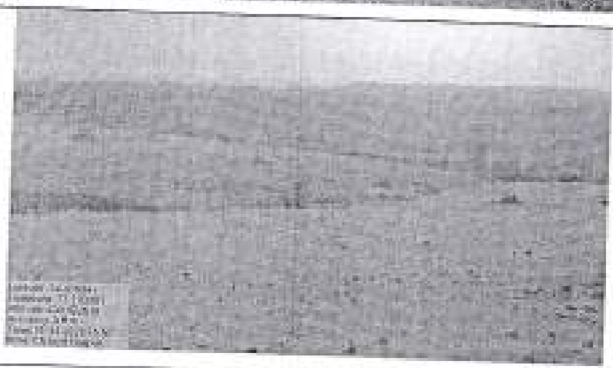
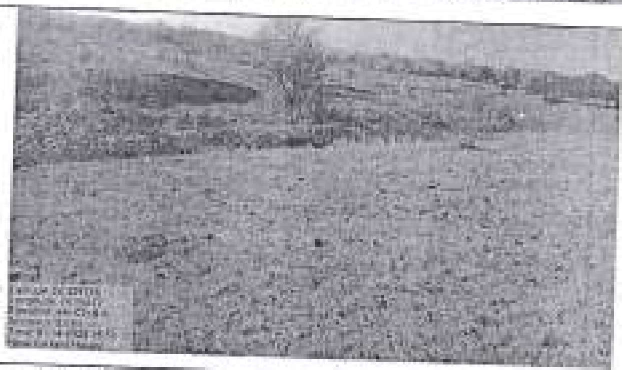

CA site of Hanspur Village

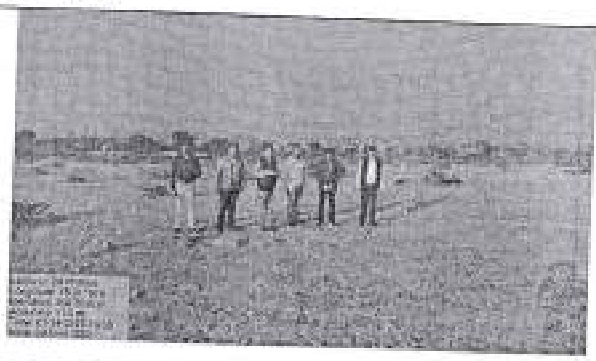
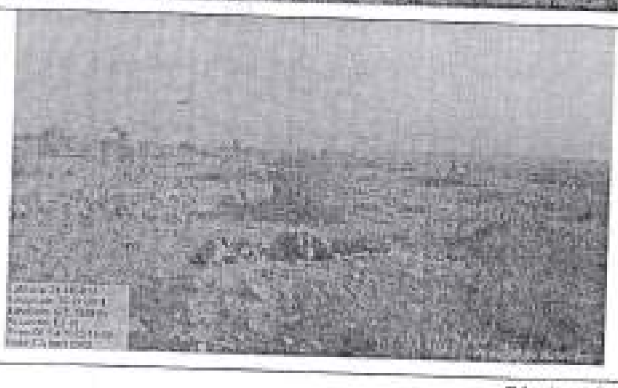
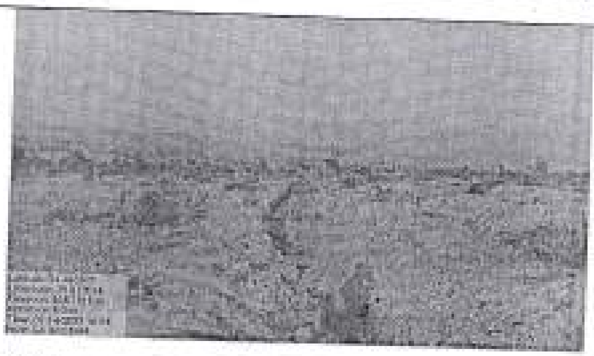

CA site of Bhagal Village

2. The Comments and clear recommendations of the Chief Wildlife Warden (CWLW) on the proposal shall be submitted.

प्रस्ताव पर मुख्य वन्यजीव वार्डन **(CWLW)** द्वारा टिप्पणियॉ और स्पष्ट सिफारिशें के बारे में कहा गया था इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)/म.प्र.भोपाल द्वारा दिनांक 03.02.2026 को पत्र क्रमांक एफ–3/82/387237/0021/16 पत्र जारी कर वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल नीमच म.प्र. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा निम्नलिखित बचाव दिये गये है।

1. Water Shall be allowed free from the water body for forestry and wildlife conservation works.
2. No fishing Camps are permitted in the forest areas.

इस संबंध में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा दिनांक 23.02.2026 को वचन पत्र द्वार दिया गया है जिसमें कहा गया है। जब तक संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होकर वन भूमि उपयोगकर्ता की हस्तांरित नहीं की जाती, तब तक बांध में कोई जलभराव नहीं किया जाएगा। नाले के मूल स्वरूप के अंतर्गत ही पानी का भराव रहेगा, जो वन्य प्राणियों के निस्तार हेतु उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त कोई भराव नहीं किया जाएगा, नहीं कोई वनभूमि डूब में प्रभावित होगी।

1. परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् वन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यो के लिए बांध से जल पूर्णतः निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
2. परियोजना पूर्ण होने पर वन क्षेत्रों में मछली पकड़ने की कोई अनुमति विभाग द्वारा जारी नहीं की जावेगी।

संलग्न :–वचन पत्र

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

—: वचन पत्र :—

गंगाबावडी तालाब सिंचाई परियोजना का निर्माण स्थानीय नाले पर प्रस्तावित है। बांध निर्माण में कुल 54.28 हेक्टेयर भूमि प्रभावित रहेगी, जिसमें 43.149 हेक्टेयर वन भूमि तथा 11.131 हेक्टेयर गैर वन भूमि प्रभावित होगी। वन भूमि डायवर्सन का प्रस्ताव पूर्ण नहीं होता है तब तक बांध निर्माण के नाला क्लोजर का कार्य नहीं किया जावेगा। बांध निर्माण के दौरान कुल 43.140 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, जो पूर्णतः बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त वन भूमि पर कोई कार्य नहीं किया जावेगा।

जब तक संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होकर वन भूमि उपयोगकर्ता की हस्तांतरित नहीं की जाती, तब तक बांध में कोई जल भराव नहीं किया जाएगा। नाले के मूल स्वरूप के अंतर्गत ही पानी का भराव रहेगा, जो वन्य प्राणियों के निस्तार हेतु उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त कोई भराव नहीं किया जाएगा नहीं कोई वन भूमि डूब में प्रभावित होगी।

म.प्र. के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) और मुख्य वन्य जीव वार्डन ने निम्नलिखित निवारक उपाय सुझाए है जो हमारे विभाग द्वारा पूर्ण किए जाऐंगे।

1. परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् वन एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यों के लिए बांध से जल पूर्णतः निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
2. परियोजना पूर्ण होने पर वन क्षेत्रों में मछली पकडने की कोई अनुमति विभाग द्वारा जारी नहीं की जावेगी।

दिनांक 16 / 02 / 2026

(हस्ताक्षर) 23/2/26

(विमल श्रीवास्तव)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, नीमच

पृष्ठा. क्र. 488 / स्थापना / 2026 नीमच दिनांक 23/02/2026

प्रतिलिपि :—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधक) वन भवन भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उज्जैन।
4. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, रतलाम।

(हस्ताक्षर) 23/2/26

(विमल श्रीवास्तव)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, नीमच

3. The State Government has informed that 0.441 ha of forest land has been de-notified vide notification dated 12-11-1990. However it is not clear whether the said land is included in the diversion proposal or not. Further the state shall examine and submit the details of violation involved in the denotification of the forest land and action taken report if any.

गंगाबावडी तालाब परियोजना निर्माण हेतु 43.149 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है। जिसके संबंध में बिन्दु क्रं 03 में राज्य सरकार द्वारा 12.11.1990 के अधिसूचना के माध्यम से 0.441 हे. वनभूमि को गैर अधिसूचित कर दिया गया है उक्त भूमि का डायवर्सन प्रस्ताव में शामिल किया गया है इस संबंध मे नायब तहसीलदार मनासा द्वारा पत्र क्र 551/री–2/2026 दिनांक 20.1.2026 को राजस्व पटवारी जल संसाधन विभाग एवं वनविभाग द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। उक्त भूमि सर्वे क्रं 1097 रकबा 0.441 हे. राजस्व रिकार्ड पडदा के खसरा रिकार्ड में शासकीय जल संसाधन विभाग के नाम से दर्ज है। जोकि मौके पर डूब क्षेत्र के अंतर्गत चली गई है एवं भूमि सर्वे क्र 1097 रकबा 0.441 हे. का राजस्व रिकार्ड ग्राम पडदा के नक्शा तरमीम श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व मनासा के न्यायालयीन प्रकरण क्रं. 27/अ–6–अ/2020–21 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2020 के पालन में आकृति नक्शे में अंकित की गई। तथा तरमीम पुख्ता की गई। जिला–नीमच अंतर्गत गंगाबावडी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु 43.149 हे. में सर्वे क्रं. 1097 रकबा 0.441 हे. भूमि शामिल है एवं भूमि के मौके की जीपीएस लोकेशन 24^{0}-33'53.235"N व 75^{0}-10'9.205"E .है।

संलग्न :– मौजा पटवारी प्रतिवेदन मय पंचनामा।

न्यायालय नायब तहसीलदार मनासा, तहसील—मनासा, जिला—नीमच

क्रमांक—551/री—2/2026 दिनांक:—20.01.2026

प्रति,

श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
जल संसाधन उपसंभाग, रामपुरा

विषय:— जिला नीमच अंतर्गत गंगाबावडी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु 43.149 हेक्टयर वनभूमि के संबंध में।

संदर्भ:— आपका पत्र कमांक 09/कार्य./2025 रामपुरा दिनांक 19/01/2026 के पालन में।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में गंगाबावडी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु 43.149हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है जिसके संबंध में मौजा पटवारी द्वारा पंचनामा मय प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया है कि मौके पर जल संसाधन उपसंभाग रामपुरा अनुविभागीय अधिकारी महोदय हिमांशु भाबोर एवं वन विभाग के वन रक्षक हेमंत बसेर बिट प्रभारी भेरपुरा एवं परिक्षेत्र सहायक पडदा योगेश सोफ की उपस्थिती में मौका जांच की गई। भूमि सर्वे कमांक 1097 रकबा 0.441हे. राजस्व रिकार्ड पडदा के खसरा रिकार्ड में शासकीय जल संसाधन विभाग के नाम से दर्ज है जो कि मौके पर डुब क्षेत्र अंतर्गत चली गई है एवं भूमि सर्वे कमांक 1097 रकबा 0.441हे. का राजस्व रिकार्ड ग्राम पडदा के नक्शा में नक्शा तरमीम श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व मनासा के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 27/अ—6—अ/2020—21 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2020 के पालन में आकृति नक्शे में अंकित की गई तथा तरमीम पुख्ता की गई। जिला नीमच अंतर्गत गंगाबावडी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु 43.149 हेक्टयर में सर्वे कमांक 1097 रकबा 0.441हे. भूमि शामिल है एवं भूमि की मौके की जीपीएस लोकेशन 24°33'53.235"N व 75°10'9.205"E है।

अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी पत्र के सलग्न आपकी और उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलग्नः— मौज पटवारी प्रतिवेदन मय पंचनामा

नायब तहसीलदार
तहसील मनासा

स्थान - गंगाबावडी
पड़दा
दिनांक - 20/01/2026

पंचनामा

हम उपस्थित पंचान ग्राम पड़दा गंगाबावड़ी के होकर यह पंचनामा तस्दीक करते हैं। कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, रामपुरा (म.प्र.) के पत्र. क्र. 09/कार्य/2025 रामपुरा दिनांक 19/01/2026 में ग्राम पड़दा के भूमि सर्वे क्रमांक 1097 रकबा 0.451 हे. के संबंध में मौका अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार जानकारी चाही गई है। मौके पर जल संसाधन उपसंभाग, रामपुरा अनुविभागीय अधिकारी हिमांशु भावरे एवं वन विभाग के वन रक्षक हेमेन्द्र बसेर बिट प्रभारी भेरपुरा एवं परिक्षेत्र सहायक पड़दा योगेश सोफ एवं राजस्व विभाग के मौजा पटवारी मय कोटवार मौके पर उपस्थित हुवे। भूमि सर्वे क्रमांक 1097 रकबा 0.451 हे. राजस्व रिकार्ड पड़दा के खसरा रिकार्ड में दर्ज एवं रिकार्ड में शासकीय जल संसाधन विभाग दर्ज है जो की मौके पर डुब क्षेत्र अंतर्गत चली गई है। भूमि सर्वे क्रमांक 1097 रकबा 0.451 हे. का नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी मनासा के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 27/अ-63/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 10/09/2020 के पालन में आकृति नक्शे में अंकित की गई तथा तरमीम पुरता की गई। जिला नीमच अंतर्गत गंगाबावडी तालाब परियोजना के निमार्ण हेतु 43. 149 हे. में आज दिनांक को मौका देखा गया सर्वे क्रमांक 1097 रकबा 0.451 हे. भूमि भी शामिल है। एवं मौके का GPS लोकेशन N-24°33'53.235"N व E-75°10'9.205"E है। अतः यह पंचनामा पढ़ा गया सुना गया बाद हस्ताक्षर किये गये।

हेमेन्द्र बसेर (व.र.)
बीट प्रभारी - भेरपुरा

Vinod
प.स.पा.

20/1/2026
S.D.O, W.R.D

राधेश्याम ... कोटवार

Shot on OnePlus
20 January 2026 at 4:41 pm

नक्शा क्रमांक - ③

R.F. BLOCK KANJARDA
RANGE - MANASA
DIVISION MANDSAUR
scale 4" = 1 mile

म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 391 भोपाल मंगलवार 12 नवम्बर 1990 अनुसार पुराना कक्ष क्रमांक 511 एवं नया कक्ष क्रमांक 290 डि-नोटिफाइड हेक्टेयर 0.641

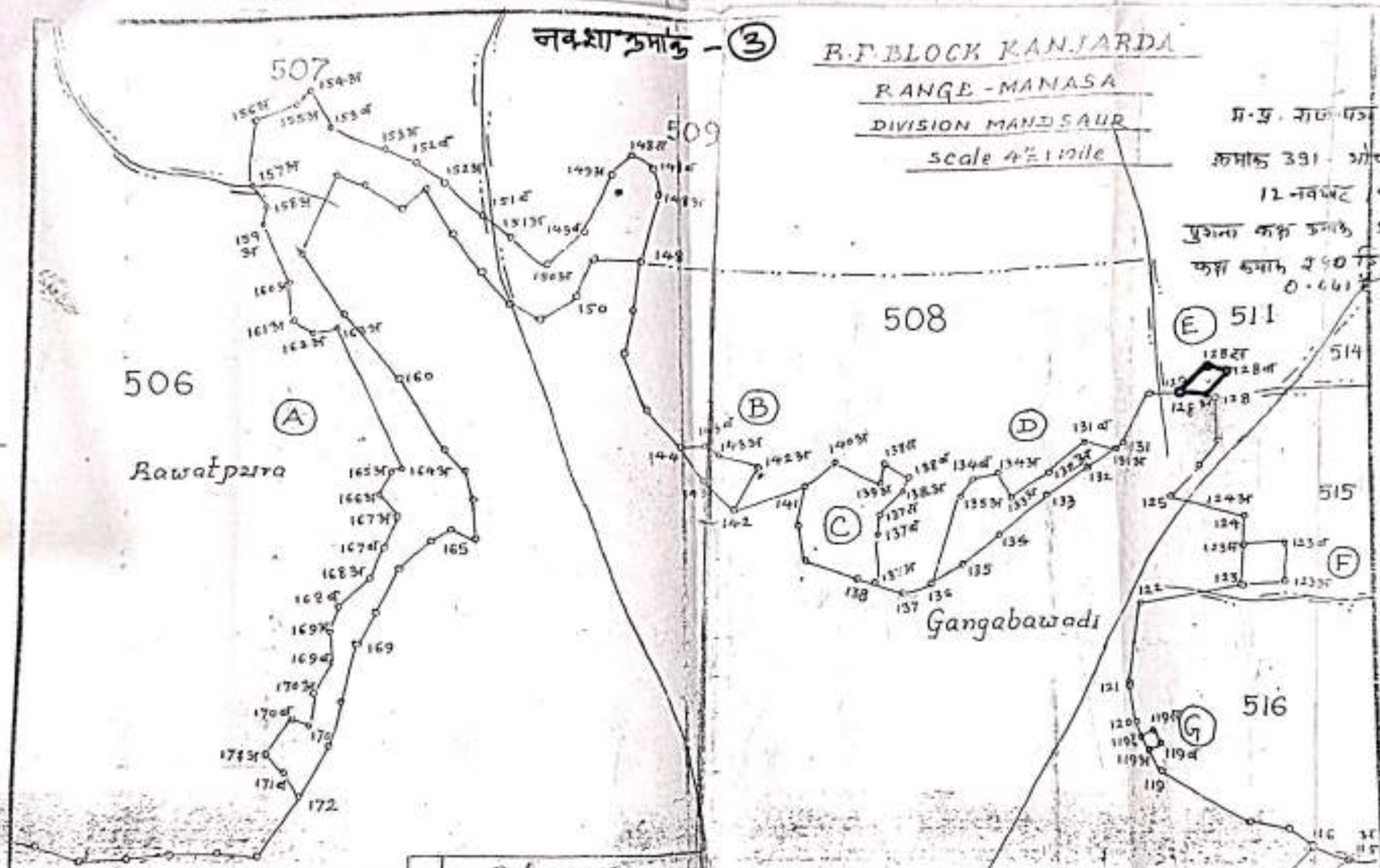

Centre Rawatpura		Centre Gangabawadi		Reference	
		C	5.521	Block boundary	
A	22.257	D	4.624	Comptt.	
B	3.600	E	0.441	River - Nalla	
Total:	25.857	F	2.023	Cart Tract	
		G	0.324	Encroachment area to be de-notified	
		H	4.139		
			17.074		